SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड,देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित कोषागारों
की कार्य प्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2023–24

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिये प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के लेखों सम्बन्धी कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है, तथा उनकी ओर से उत्तराखण्ड के लेखों के संकलन कार्य के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड उत्तरदायी है। कोषागार राज्य सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के मामलों में और सरकारी लेन–देन के लेखांकन के विशिष्ट क्षेत्र में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार आहरण एवं संवितरण अधिकारी और वित्त विभाग के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। कोषागार मासिक लेखों की तैयारी एवं शुद्धता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके साथ ही लेखा एवं लेन–देन से सम्बन्धित मानक और नियमों के अनुसार वित्तीय लेन–देन को सुनिश्चित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोषागार/उपकोषागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार ने संहितायें, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियायें निर्धारित की हैं। कोषागारों/उपकोषागारों की ओर से इन नियमों और प्रक्रियाओं से किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय प्रबन्धन और जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका में दिए गए प्रारूपों/दिशा निर्देशों एवं खण्ड–1 की कण्डिका 20.17 के अनुसार मेरे कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का वर्ष 2023–24 का कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संकलित किया गया है। यह समीक्षा आख्या तीन भागों में तैयार की गयी है। इसके प्रथम भाग में प्रस्तावना व कोषागारों/उपकोषागारों के संगठनात्मक ढांचे का वर्णन है। द्वितीय भाग में लेखों की कमियों/त्रुटियों का समावेश है तथा तृतीय भाग में वर्ष 2023–24 में कोषागारों/उपकोषागारों के निरीक्षण के समय पायी गई त्रुटियों/अनियमितताओं का वृहत्तर रूप से विवरण दिया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कोषागारों एवं उपकोषागारों में अनियमितताओं एवं कमियों को दूर करने एवं राज्य सरकार के वित्तीय प्रशासन में कोषागार को एक स्वच्छ इकाई के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

(राजीव कुमार सिंह)
महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

स्थान : देहरादून
दिनांक : 16.07.2024

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राक्कथन	1
2.	मुख्य अंश	3
3.	भाग–1 प्रस्तावना	4 से 8
4.	भाग–2 लेखा विसंगतियां	9 से 13
5.	भाग–3 कोषागारों के निरीक्षण में पायी गयी कमीयां	14 से 29
6.	परिशिष्ट–1 से 20	30 से 68

मुख्य अंश

1.	कोषागार अतंरापृष्ठीय **(Treasury Interface)** के माध्यम से प्राप्त लेखों में कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.1)**
2.	त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।	**(पैरा 2.3)**
3.	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं।	**(पैरा 2.6)**
4.	वर्ष **2023-24** में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण।	**(पैरा 3.1)**
5.	नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.2.1)**
6.	उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागार का निरीक्षण न किया जाना।	**(पैरा 3.2.2)**
7.	वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।	**(पैरा 3.3)**
8.	द्वितालक कक्ष में रखी गई बहुमुल्य वस्तुओं के संबंध में ।	**(पैरा 3.4.1)**
9.	कोषागार के द्वितालक कक्ष में **₹** 19,88,66,870/– के गैर न्यायायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।	**(पैरा 3.4.2)**
10.	उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।	**(पैरा 3.5.1)**
11.	अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।	**(पैरा 3.5.2)**
12.	कोषागार डाटा बेस में 69 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।	**(पैरा 3.5.3)**
13.	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।	**(पैरा 3.9)**
14.	स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं अभिरक्षा हेतु बैंकों में प्रयोग की जाने वाली 02 चाबी वाली सेफ का क्रय ना किया जाना।	**(पैरा 3.10)**
15.	**IFMS Software** में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं **NIC** ई–मेल आई डी दर्ज नहीं होना।	**(पैरा 3.12)**

भाग—एक

प्रस्तावना एवं संगठनात्मक ढांचा

कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2023–24

भाग–1 : प्रस्तावना

1.0 उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली 2003 के भाग–4 (2) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त कोषागार/उपकोषागार निदेशक, कोषागार (पेंशन एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के नियंत्रण में हैं। मण्डल/जिला स्तर पर कोषागारों/उपकोषागारों पर क्रमशः आयुक्त/जिलाधिकारी का प्रशासकीय नियंत्रण है। कोषागारों की स्थापना शासकीय राजस्व की प्राप्ति एंव भुगतान पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की गयी है।

प्रत्येक कोषागार कोषाधिकारी एवं उपकोषागार उपकोषाधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषागार अपने तथा अधीनस्थ उपकोषागारों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड को प्रेषित करते हैं।

1.1 उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 384/XXVII(6)/2011, दिनांक 17.10.2011 द्वारा राज्य में कोषागारों के अधीन स्थापित उपकोषागारों को कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करते हुये 70 उपकोषागारों को कोषागार की भाँति स्वतन्त्र रूप से बिल पारण, पेंशन भुगतान एवं अन्य सरकारी लेन–देन का कार्य करने हेतु वर्ष 2012-13 से प्राधिकृत किया गया। उपकोषाधिकारी अपने उपकोषागार के लिये आहरण वितरण अधिकारी हैं तथा उपकोषागार में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्णतः सदर कोषागार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं।

1.2 संरचना/ संगठन :

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2023-24 में कुल 19 कोषागार हैं (19 कोषागारों में एक, कोषागार रानीखेत अभी स्वतंत्र प्रभार से मासिक लेखे प्रस्तुत नहीं करता है जिसके कारण लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या केवल 18) एवं 70 उपकोषागार हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून में स्थित एक साईबर कोषागार एवं नई दिल्ली में स्थित वेतन भुगतान एवं लेखा कार्यालय, कोषागार के रूप में कार्यरत हैं तथा लेखे प्रस्तुत करते हैं, अर्थात् राज्य में 13 सदर कोषागार तथा 6 कोषागार (कुल 19 कोषागार) 01 भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 01 साईबर कोषागार एवं 70 उपकोषागार हैं। सभी कोषागार/उपकोषागार बैंकिग के रूप में कार्यरत हैं।

परिशिष्ट–(01)

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

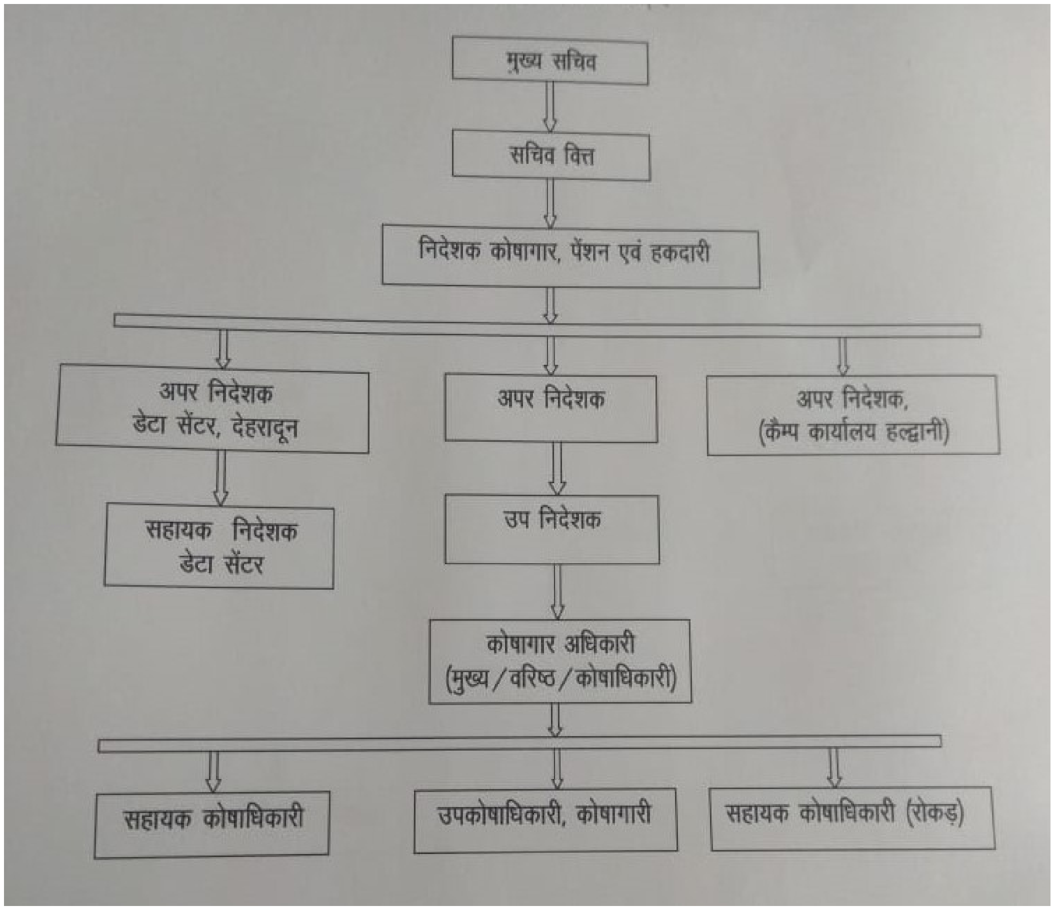

1.3 उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 39/XXVII(6) 2013 दिनांक 18.01.2013 द्वारा राज्य के समस्त उपकोषागारों में स्थापित डबल लॉक तथा सिंगल लॉक कक्ष की व्यवस्था को वर्ष 2013-14 से समाप्त कर डबल लॉक/सिंगल लॉक/गारद रूम को सामान्य कक्षों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

ऐसे उपकोषागारों में स्टाम्प एवं नकदी के भण्डारण एवं रख–रखाव हेतु बैंको में प्रयोग किये जाने वाले दो चाबी वाले सेफ का उपयोग किया जाना निर्धारित है।

ऐसे उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से इसका बीमा कराया जाना निर्धारित है। समस्त ऐसे उपकोषागारों में डबल लॉक/सिंगल लॉक कक्ष की सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस गारद को पुलिस विभाग को वापस किया जाना था।

ऐसे उपकोषागारों के डबल लॉक में विभिन्न विभागों के रखे गये सील्ड पैकेट तथा डुप्लीकेट चाबी इत्यादि को निकटवर्ती कोषागार अथवा सदर कोषागार के डबल लॉक में हस्तान्तरित किया जाना निर्धारित है।

1.3.1 वर्ष **2023-24** में राज्य के कोषागारों एवं उपकोषागारों के वार्षिक निरीक्षण उत्तराखण्ड में कोविड–19 महामारी के नियमों का पालन करते हुए निर्धारित सभी 22 कोषागारों एवं 35 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया है।

1.3.2 कोषागारों में कर्मचारी वर्ग की स्थिति–कोषागार एवं उपकोषागार कार्यालयों में स्वीकृत कार्यबल के सापेक्ष काफी कम संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। कोषागारों में लगभग 20.31 प्रतिशत पद रिक्त हैं। कोषागारों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पिछले तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशत
2021-22	1012	712	300	29.64
2022-23	1002	634	368	36.73
2023-24	1019	812	207	20.31

1.4 निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के अंतर्गत निम्न पदों की स्थापना की गयी है :–

1 निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी , देहरादून।
2 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,मुख्यालय, देहरादून।
3 अपर निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी।
4 अपर निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।
5 उप निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी ,मुख्यालय, देहरादून।
6 सहायक निदेशक, वित्तीय डेटा सेंटर, देहरादून।

1.5 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) का कियान्वयन :

1 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार के सभी वित्तीय कार्यों को एकीकृत और स्वचालित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली **(IFMS)** लागू की गई है। इस प्रणाली से उपयोगकर्ताओं को एक "एण्ड टू एण्ड लेनदेन" का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

राज्य के समस्त कोषागारों/उपकोषागारों/निदेशालय स्तर पर राज्य के कार्यों के संचालन हेतु आज दिनांक तक आई0एफ0एम0एस0 से संबंधित विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम कराये गये हैं जिसके अन्तर्गत 2000 से अधिक आहरण एव संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के सभी कोषागारों/उपकोषागारों में स्वान (SWAN) द्वारा इन्टरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है जोकि एन0आई0सी0 द्वारा संचालित एवं लागू किया गया है। स्वान नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित है।

आई0एफ0एम0एस0 में ई–साईन की सुविधा C-DAC द्वारा की जा रही है जोकि सुरक्षित है एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौघोगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत है। DSC हस्ताक्षर हेतु e-Madhura's Digital Signing का प्रयोग किया जा रहा है।

GSTN से संबंधित प्राप्ति हेतु Memorandum of Errors (MoE) को विकसित एवं लागू किया गया है तथा भुगतान हेतु E-Kuber 2.0 का प्रयोग किया जा रहा है।

सुचारू इन्टरनेट कनेक्टिवीटी हेतु कॉपर बेस BSNLको Optical Fiber Cable से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

आई0एफ0एम0एस0 के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त कोषागारों/उपकोषागारों को कम्पयूटर, स्कैनर, प्रिन्टर, डोंगल, बायोमेट्रिक डिवाईस, यू0पी00एस0 आदि उपलब्ध कराया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों के प्रयोगार्थ एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके अन्तर्गत शासन, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष के मध्य

एकरूपता स्थापित की गई है। आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से नियत समय में राज्य के भुगतान संभव हो पा रहे हैं तथा व्यय से सम्बन्धित लेखांकन समेकित प्रक्रिया द्वारा त्वरित गति से संकलित हो रहे हैं।

IFMS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत निम्नलिखित मॉडयूल्स विकसित कर लिए गए हैं:–

1. पेरोल
2. बिल्स
3. एच.आर.एम.एस.
4. क्लेमस
5. जी0पी0एफ0
6. पेंशन
7. बजट
8. ई–साईन
9. इनकम–टैक्स
10. एन.पी.एस.
11. ई–चालान
12. स्पोर्ट
13. अप्रूवल
14. एकाउन्टिंग
15. एम0आई0एस0
16. पी0एल0ए0
17. वर्क्स एकाउन्टिंग
18. सोसाईटी एण्ड फर्म्स
19. डिजीटाईजेशन
20. ए0 जी0
21. जी0आई0एस0
22. ऑटोनोमस बॉडीज

भाग-दो

लेखा विसंगतियां

भाग-2 : लेखा विसंगतियां

2.0 लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियां/विसंगतियां:

2.1 कोषागार अंतरापृष्ठीय (Treasury Interface) प्रणाली का सृजन एवं कार्यान्वयन कुछ विशेष उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था जिनका विवरण निम्नवत् है:–

- मैनुअल डाटा प्रविष्टि की जगह प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तान्तरण और अपलोड करना।
- वित्त एवं विनियोग लेखों को गुणात्मक एवं समयोचित ढंग से तैयार करना।
- High Risk Items पर निगरानी जैसे कि शून्य भुगतान वाउचर (Nil payment voucher), अनुदान सहायता और आकस्मिक बिलों की प्राप्ति।

2.2 मासिक लेखों में गलत / त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन।

विभिन्न कोषागारों द्वारा वर्ष 2023-24 के मासिक लेखों में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को लेखा संशोधन द्वारा सुधारा गया। यदि उक्त त्रुटियों (Misclassification) को सुधारा नहीं जाता है तो इसका लेखों की शुद्धता पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेखा संशोधन का विवरण **परिशिष्ट–(02)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(02)

2.3 त्रैमासिक आय–व्यय के मिलान से सम्बन्धित कमियां एवं विसंगतियां।

उत्तराखण्ड राज्य के बजट मैन्युअल के प्रस्तर संख्या 109 के अनुसार मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़ों का मिलान महालेखाकार एवं कोषागार के आंकड़ों के साथ नियमतः करना निर्धारित है। वर्ष 2023-24 के लेखा संकलन की प्रकिया एवं कोषागारों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियंत्रक अधिकारी द्वारा अपने विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अधिकांश आहरण एवं वितरण अधिकारी/मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा या तो मिलान ही नहीं कराया गया या फिर मिलान आंशिक रूप से कराया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों/विभागाध्यक्षों की वित्तीय वर्ष 2023-24 में चतुर्थ त्रैमास तक मिलान आख्या–

	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		तृतीस त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
पूर्ण मिलान	32	49	33	47	34	48	33	49
आंशिक मिलान	08	08	11	11	06	07	12	13
मिलान नहीं कराया	08	05	04	04	08	07	03	00
कुल	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**	**48**	**62**
मिलान आख्या (प्रतिशत् में)	**83.33**	**91.94**	**91.66**	**93.50**	**83.33**	**88.70**	**93.75**	**100**

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न मुख्य नियंत्रक/बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक आय–व्यय मिलान की स्थिति **परिशिष्ट–(03)** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(03)

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रैमासिक आय–व्यय के आंकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले मुख्य नियंत्रक / बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–(04)** में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट–(04)

2.4 **मार्च, 2024 की मासिक लेखा समाप्ति पर तद्दिनांक तक ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।**

वित्तीय वर्ष	ए0सी0 बिल आहरित		डी0सी0 बिल		लंबित ए0सी0 बिल	
	Items	Amount in **₹**	**Items**	**Amount in ₹**	**Items**	**Amount in ₹**
2021-22	321	93,45,50,597	304	86,49,29,490	17	6,96,21,107
2022-23	271	8,97,80,702	261	8,88,38,133	10	9,42,569
2023-24	306	17,55,92,215	169	6,69,36,772	137	10,86,55,443
योग	898	1,19,99,23,514	734	1,02,07,04,395	164	17,92,19,119

2.5 मासिक लेखों की प्राप्ति में विलम्ब।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को समय पर मासिक लेखों (MCA) को प्रस्तुत करना समस्त कोषागारों द्वारा मासिक लेखों को ससमय कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) में प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। कोषागारों का मासिक लेखा कार्यालय महालेखाकार को निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करने का उत्तरदायित्व कोषाधिकारियों का है। प्रत्येक माह के लेखे अगले माह की **5 तारीख** तक महालेखाकार (लेखा एवं हक0) को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है ताकि संकलित लेखे आगामी माह **की 15 तारीख** तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जा सकें। परन्तु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोषागारों द्वारा **01** से **09** दिन तक के विलम्ब से मासिक लेखे भेजे गये। विवरण **परिशिष्ट–(05)** में दिया गया है।

सभी कोषागारों द्वारा नियत तिथि का पालन न करने से राज्य सरकार को मासिक लेखें ससमय प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है।

परिशिष्ट–(05)

2.6 सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित अनियमितताएं ।

2.6.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में 16 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि भुगतान से सम्बन्धित 23 प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया गया। इसका विवरण **परिशिष्ट–(06)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(06)

2.6.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 2 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 2 प्रकरण जोकि 90 प्रतिशत् से अधिक भुगतान से सम्बन्धित है, संज्ञान में आये हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(07)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(07)

2.6.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 18 कोषागारों के कुल 175 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या एवं नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस में पोस्ट नहीं

किया जा सका है, जिसके कारण उक्त अवधि में कुल धनराशि ₹ 29,08,193/–वर्तमान में असूचित (Un-Posted) में दर्ज हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(08)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(08)

2.6.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 19 कोषागारों की प्राप्ति के Full want/Part want के कुल 3,816 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित हैं। इसका विवरण **परिशिष्ट–(09)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(09)

2.7 वी0एल0सी0 से संबंधित कमियों/विसंगतियों का पाया जाना।

2.7.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अधिक भुगतान की वसूली को व्यय में कमी के रूप में दर्शाने के बजाय संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष (प्राप्ति) में दर्शाया जाना। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(10)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(10)

2.7.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मुख्य लेखाशीर्ष 0210 के वर्गीकरण में भिन्नता पायी गई हैं। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(11)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(11)

2.7.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्ण (13 अंकीय) वर्गीकरण के बिना अपूर्ण चालान/एस0ओ0आर0 पाये गए हैं। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(12)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(12)

2.8 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों में कमियों/विसंगतियों का पाया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को स्वीकृत संस्थागत ऋणों के स्वीकृति आदेशों में ऋणों से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें जैसे ब्याज दर, मोरेटोरियम पीरियड, ऋण की अवधि, किश्तों की संख्या को अंकित नहीं किया जाता है।

संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के चालानों पर इस कार्यालय द्वारा दिए जाने वाले एस0एल0आर0 संख्या को अंकित नहीं किया जा रहा है जिस कारण इस कार्यालय द्वारा उक्त ऋणों के लेखों के रखरखाव में असुविधा हो रही है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खारिज ऋणों एवं ऋण जिन्हें इक्विटी में रूपान्तरित किया जा चुका है, की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

2.9 मुख्य लेखाशीर्ष 8793 से सम्बन्धित कमियां/विसंगतियां पाया जाना।

कोषागारों द्वारा अन्य राज्य पेंशन 8793 से संबंधित प्राप्त वाउचर/चालान में गलत वर्गीकरण किया जा रहा है जिसके कारण प्रति माह Correction of Accounts बनाना पड़ता है और प्रत्येक माह लेखा संशोधित करना पड़ता है। यह त्रुटी डाटा सेंन्टर द्वारा हो रही है, जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर के दावे निदेशक कोषागार द्वारा प्रायः विलम्ब से प्रेषित किये जाते हैं जिसके कारण प्रतिपूर्ति भी विलम्ब से हो रही है। परिणामस्वरूप उच्चंत लेखाशीर्ष में धनराशि प्रदर्शित हो रही है जिसका समायोजन तद्दिनांक तक नहीं किया जा सका है।

2.10 वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्त तक सहायक अनुदान के सापेक्ष में ₹ 3410.64 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित रहना।

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	सहायक अनुदान के रूप में निकासी		उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुति		उपयोगिता प्रमाण–पत्र हेतु लम्बित	
	संख्या	राशि ₹ में	संख्या	राशि ₹ में	संख्या	राशि ₹ में
2021-22	301	11,80,91,66,000	297	10,60,20,01,000	04	1,20,71,65,000
2022-23	268	13,83,06,47,658	62	1,08,10,22,000	206	12,74,96,25,658
2023-24	222	20,14,96,15,239	00	00	222	20,14,96,15,239
योग	791	45,78,94,28,897	359	11,68,30,23,000	432	34,10,64,05,897

2.11 आर0बी0डी0 विवरण एवं वी0डी0एम0एस0 में भिन्नताएँ।

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा प्राप्त मासिक विवरण में एजेन्सी बैंकों की धनराशियों एवं कोषागारों से प्राप्त एजेन्सी बैंकों की वी0डी0एम0एस0 में दर्शायी गयी धनराशियों में भिन्नता पायी गई। उक्त का निपटान इस कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर कोषागारों द्वारा (जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक/एजेन्सी बैंक के behalf पर descrepancies ना हो) शीघ्रतम किया जाना प्रावधानित है। परन्तु कोषागारों द्वारा विसंगतियों का निपटारा अत्यधिक विलम्ब से या किया ही नहीं जा रहा है। जिस कारण इस कार्यालय की आर0बी0डी0 ब्राडशीट में माह मार्च, 2024 तक कुल विसंगति ₹ 1026321603.12 करोड़ क्रेडिट एवं ₹ 66337536.61 करोड़ डेबिट आर0बीडी0 सस्पेन्स में विद्यमान है। जिसका विवरण परिशिष्ट **(13)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–**(13)**

2.12 वैलिडेशन सेल से सम्बन्धित कमियों/त्रुटियों का पाया जाना।

2.12.1 वेतन वाउचर में एस0जी0एच0एस0 की कटौती की राशि वाउचर में वर्गीकरण के साथ कटौती के विवरण में शामिल नहीं है।

2.12.2 एन0पी0एस0 के तहत कटौती 8342–00–117 सही वर्गीकरण के बजाय गलत वर्गीकरण 8342–01–117 के तहत दर्ज की गई है, जो नई पेंशन प्रणाली के लिए सही वर्गीकरण है।

2.13 बुक–सी अनुभाग से संबंधित कमियों/त्रुटियों का पाया जाना।

2.13.1 कोषागारों द्वारा प्रेषित मुख्य लेखाशीर्ष 8000 (राज्य आकस्मिकता निधि) से आहरित धनराशि के अधिकतम वाउचरों के स्वीकृति आदेश IFMS Portal पर upload नहीं होते हैं। अतः मुख्य लेखाशीर्ष 8000 के वाउचरों का स्वीकृति आदेश IFMS Portal पर upload किया जाना आवश्यक है।

2.13.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोषागारों से संबंधित त्रुटियों के सुधार हेतु Transfer Entry के माध्यम से समायोजन नहीं किया गया है।

भाग-तीन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियाँ/त्रुटियाँ

''भाग-3: कोषागारों के निरीक्षण में पायी गई कमियां''

3.0 निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियाँ एवं अन्य वित्तीय अनियमिततायें :—

3.1 निरीक्षक दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023—24 में 22 कोषागारों तथा 35 उपकोषागारों का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2023—24 में निरीक्षण किये गये कोषागारों का विवरण **परिशिष्ट—(14)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट—(14)

अनुशंसाः—निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/विसंगतियों के सन्दर्भ में कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया जाए एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोषागार में निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के समय पर निराकरण हेतु एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

(क) वर्ष 2023—24 में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति निम्नानुसार हैः—

	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
प्रारम्भिक शेष 2023—24	159	1078
वर्ष के दौरान निरीक्षण	57	687
वर्ष के दौरान निस्तारण	105	1124
वर्ष के अन्त में शेष	**111**	**641**

(ख) निरीक्षण/प्रतिवेदन में लम्बित प्रस्तरों के विगत तीन वर्षों का विवरण :—

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या
2021—2022	34	107
2022—23	30	118
2023—24	47	416
योग	**111**	**641**

3.2 लेखों से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँः—

3.2.1 नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से अंशदान की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या—21/XXVII(7)/CPS/2005 दिनांक 25-10-2005 के अनुसार नई पेंशन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के अगले माह से उनके (वेतन + डी0ए0) का 10 प्रतिशत् कटौती और 14 प्रतिशत् राशि सरकारी अंशदान के रूप में कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम खाते में जमा की जानी चाहिये।

एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय प्रणाली (I.P.A.O) के अनुसार कोषागार द्वारा सभी विभागों के वेतन बिलों का आहरण किया जा रहा है। अतः कोषागार का यह दायित्व है कि नवनियुक्त सभी कर्मचारियों से प्रथम वेतन आहरण के समय ही नयी पेंशन स्कीम के आवेदन प्राप्त करके ''खाता संख्या'' का आवंटन करायें परन्तु निरीक्षण में

यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा इस दायित्व को नहीं निभाया जा रहा है। अतः कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कोषागार स्तर पर नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

परिशिष्ट–(15)

3.2.2 उच्चाधिकारियों द्वारा कोषागारों का निरीक्षण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के नियम 469–क (ख) के अनुसार निदेशक, कोषागार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोषागार/लेखा निदेशालय के किसी अधिकारी द्वारा प्रत्येक कोषागार का निरीक्षण वित्तीय वर्ष में दो बार किया जाना चाहिए। इनमें से एक निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए जो कोषाधिकारी को सूचना देकर किया जाना चाहिए तथा दूसरा निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर आकस्मिक रूप से किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के परिशिष्ट–(21) के अनुसार जिला कोषागार का निरीक्षण वर्ष में एक बार प्रभाग के आयुक्त और जिलाधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्ष के दौरान कोषागारों के निरीक्षण में पाया गया कि अधिकतम कोषागारों/उपकोषागारों का उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त नियमों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। जिसका विवरण **परिशिष्ट–(16)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(16)

3.3 वैयक्तिक लेखा खातों (पी0एल0ए0) से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ।

3.3.1 तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित पी0एल0ए0 खातों को बंद न करने के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 17/21/XXVII(10)/2015/2019 दिनांक 08.01.2020 के बिन्दु 4 के अनुसार यदि किसी वैयक्तिक लेखा खाते में 03 वर्ष तक कोई भी लेन–देन न हो, तो ऐसे खाते को बंद करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध किया जाएगा। यदि लिखित अनुरोध की तिथि से 03 माह तक सक्षम प्राधिकारी का उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार के परामर्श से यदि खाते में कोई धनराशि अवशेष है, तो उसे सुसंगत लेखाशीर्ष के अंतर्गत Minor Head-911 Sub Head-03 में जमा कर बंद कर दिया जाएगा। उक्त आदेश के बिन्दु सं0 6 (2) के अनुसार अगर किसी धनराशि का लेखाशीर्ष ज्ञात न हो तो सक्षम अधिकारी से इस आशय का लिखित अनुरोध किया जाएगा कि इस धनराशि को लेखाशीर्ष 2075–00–911–03–00 में जमा कर खाते को बंद किया जाएगा।

वर्ष के दौरान जमा से संबंधित लेखों के निरीक्षण में पाया गया कि फरवरी, 2014 से **निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण चौबटिया, रानीखेत** के नाम से वैयक्तिक लेखा खाते में **₹** 18 लाख, दिनांक 31.03.2023 से **जिला पंचायत राज अधिकारी, अल्मोड़ा** के नाम से वैयक्तिक लेखा खाते में **₹** 73,77,513 अवशेष पड़े हैं जिसका प्राधिकार 31.03.2022 तक सीमित था एवं कोषागार पिथौरागढ़ के अभिलेखों/पत्रावलियों में "Basic Education Fund" के नाम से वैयक्तिक लेखा खाते में **₹ 01** अवशेष पड़े हुए हैं।

3.3.2 वार्षिक व्यपगत जमा का विवरण महालेखाकार को प्रेषित न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 351(A) एवं 352(A) के अनुसार जमा मद (Deposit) में भुगतान यदि तीन वर्ष के समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसी जमा राशि को शासकीय खाते में जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के पश्चात् व्यपगत (Lapse) किया जाना प्रावधानित है। तद्उपरान्त इसका भुगतान महालेखाकार के स्वीकृति आदेश पर किया जाता है। कोषागार निरीक्षण में पाया गया कि इस नियम का पालन विभिन्न कोषागरों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप कोषागार चम्पावत के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31/03/2021, 31/03/2022 एवं 31/03/2023 को समाप्त वित्तीय वर्षो से संबंधित व्यपगत विवरण महालेखाकार को प्रेषित नहीं

किया गया है जबकि कोषागार के अभिलेखों के अनुसार मुख्यशीर्ष 8443–00–104 (Civil Court Deposits) में निम्न धनराशि व्यपगत होनी थीः–

Nainital			
Sl. No.	Deposit Month	Lapse Month	Amount in (₹)
1.	Apr 19	March 23	35,081
2.	May 19	March 23	34,732
3.	June 19	March 23	35,560
4.	July 19	March 23	65,269
5.	Aug 19	March 23	50,439
6.	Sep 19	March 23	27,557
7.	Oct 19	March 23	14,859
8.	Nov 19	March 23	80,733
9.	Dec 19	March 23	59,496
10	Jan 20	March 23	2,480
11	Feb 20	March 23	37,486
12.	Mar 20	March 23	29,619
		Total	**₹ 4,73,311**
Gopeshwar			
Sl. No.	Deposit Month	Lapse Month	Amount in (₹)
1.	Oct 18	March 22	13,400
2.	Oct 19	March 23	25,92,204
		Total	**₹ 26,05,604**

3.3.3 पी.एल.ए. खातों से एक मुश्त आधार पर सैल्फ चैक अनुमन्य किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 121/XXVII(14)/2013 दिनांक 12.07.2013 के पैराग्राफ (ख) के अनुसार विभागों द्वारा PLA खातों से एक मुश्त सैल्फ चैक द्वारा आहरण अनुमन्य नहीं होंगे। लेकिन पंजिकाओं के निरीक्षण में पाया गया कि उपकोषागार द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन PLA से धनराशि निकालते समय नहीं किया गया। सैल्फ चैक से राशि आहरित करने से राजकीय धन का दुरुपयोग होना निश्चित है तथा पार्किंग ऑफ फण्ड भी संभावित है। जो कि नियमों के विरुद्ध है तथा प्रथम दृष्टया वित्तीय नियमों के विपरीत है। एक मुश्त Self Cheque/ स्वयं के पद नाम पर निकासी के कोषागार टनकपुर एवं चमोली के कुछ दृष्टान्त निम्न हैः–

<u>कोषागार टनकपुर</u>

शासकीय इकाई का नाम	ट्रांजेक्शन आई.डी.	दिनांक	राशि (₹0 में)
नगर पालिका परिषद, टनकपुर	PL8804805907221019	19.07.2022	9,21,378
	PL8804805907221021	06.08.2022	20,58,346
	PL8804805907221022	06.08.2022	14,32,911
	PL8804805907221024	16.09.2022	18,83,787
	PL8804805907221025	16.09.2022	10,15,985
	PL8804805907221027	07.10.2022	8,72,092
	PL8804805907221028	11.10.2022	18,95,792
नगर पंचायत, बनबसा	PL8804809004221007	19.04.2022	1,08,000
	PL8804809004221008	19.04.2022	1,93,393
	PL8804809004221018	08.06.2022	91,140
	PL8804809004221021	09.06.2022	1,77,298

	PL8804809004221022	06.07.2022	1,96,346
	PL8804809004221028	06.08.2022	1,43,000
	PL8804809004221037	12.09.2022	1,43,250
	PL8804809004221052	11.11.2022	1,02,248
	PL8800805705221097	11.11.2022	10,67,732

कोषागार गोपेश्वर

PLA Ledger : 802301 - Nagar Palika Parishad (PAY) , Chamoli				
1	B84480015	06-May-22	PL4000802305221000 OP4000802300014 salary bill payment	46,63,806
2	B84480098	10-Jun-22	PL4000802306221005 OP4000802300014 salary bill payment	23,21,945
3	B84480033	06-Jul-22	PL4000802307221022 OP4000802300014 salary	26,27,733
4	B84480046	09-Aug-22	PL4000802308221050 OP4000802300014 salary bill payment	32,45,482
5	B84480009	08-Sep-22	PL4000802309221055 OP4000802300014 SALARY BILLS	22,96,614
6	B84480088	16-Sep-22	PL4000802309221067 OP4000802300014 salary bill payment	1,43,716
7	B84480018	09-Nov-22	PL4000802311221090 OP4000802300014 Salary	23,21,538
8	B84480077	09-Dec-22	PL4000802312221102 OP4000802300014 salary	23,73,479
9	B84480014	06-Jan-23	PL4000802301231107 OP4000802300014 salary bill	23,87,555
10	B84480070	31-Jan-23	PL4000802301231116 OP4000802300014 Rajendra Sajwan Salary	2,19,839
11	B84480017	03-Feb-23	PL4000802302231117 OP4000802300014 salary payment	24,33,193
12	B84480050	10-Feb-23	PL4000802302231123 OP4000802300014 Annual Increment Arrear	2,83,968
13	B84480040	03-Mar-23	PL4000802303231144 OP4000802300014 Monthly Salary	24,85,365
			Total	**2,78,04,233**

3.4 द्वितालक कक्ष में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में।

3.4.1 द्वितालक कक्ष में रखे गए बहुमूल्य वस्तुओं का नियमित वार्षिक सत्यापन नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद 38(ग) के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारी अपने विभाग की मूल्यवान वस्तुओं को जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोषागार के द्वितालक कक्ष में सील बन्द पैकेट के रूप में रख सकते हैं तथा ऐसे सभी पैकेटों का प्रति वर्ष मई माह में संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन कर पुनः सुरक्षित द्वितालक कक्ष में सील बन्द कर रखा जाना चाहिए। निरीक्षण किये गए वर्ष के दौरान निम्नलिखित कोषागारों के द्वितालक कक्ष में रखी बहुमूल्य वस्तुओं का वार्षिक सत्यापन सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों द्वारा न करके नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	नैनीताल
2	पिथौरागढ़
3	रानीखेत
4	रूद्रप्रयाग
5	टिहरी गढ़वाल
6	देहरादून

3.4.2 कोषागार के द्वितालक कक्ष में ₹ 19,88,66,870/– गैर न्यायायिक स्टाम्पों का निष्प्रयोज्य पाया जाना।

कोषागार बागेश्वर के द्वितालक कक्ष में निम्न मूल्य वर्ग के गैर–न्यायिक स्टाम्प (Non Judicial Stamp) बिक्री के अभाव में (शून्य बिक्री) लगभग 2 वर्ष 9 माह से अप्रयुक्त पड़े हैं। चूंकि राज्य में वर्तमान में लागू ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था (स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0) के कारण इनकी भविष्य में बिक्री की संभावना नहीं है। अतः इन अनुपयोगी स्टाम्प के अंतिम निस्तारण की आवश्यकता है। कोषागार गोपेश्वर के द्वितालक कक्ष में भी निम्न मूल्य वर्ग के गैर–न्यायिक स्टाम्प (Non- Judicial Stamp) बिक्री के अभाव मे (शून्य बिक्री) लगभग 1 वर्ष 2 माह से अप्रयुक्त पड़े हैं। चूंकि राज्य में वर्तमान में लागू ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था (स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0) के कारण इनकी भविष्य में बिक्री की संभावना नहीं है। इसी प्रकार कोषागार पिथौरागढ के द्वितालक कक्ष के निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार के द्वितालक कक्ष में कुल रू 2,96,90,000/– के स्टाम्प का भंडारण है। कोषागार देहरादून के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया है कि दिनांक 18.09.2023 को द्वितालक कक्ष में पाया गया कि कोषागार के द्वितालक कक्ष में कुल रू 3,87,36,550/– के स्टाम्प का भंडारण है। जिनका पिछले दो वर्षों से अभी तक कोई भी स्टांप वैन्डर द्वारा खरीदा नहीं गया है। जिसका वर्तमान समय में भी कोषागार स्तर पर विक्रय नहीं हो रहा है। कोषागार उत्तरकाशी के द्वितालक कक्ष के निरीक्षण में पाया गया कि कोषागार के द्वितालक कक्ष में कुल रू 8,39,97,000/–के स्टाम्प का भंडारण है। साथ ही कोषागार लैन्सडाउन के द्वितालक कक्ष में निम्न मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक स्टाम्प (Non Judicial Stamp) बिक्री के अभाव मे (शून्य बिक्री) लगभग 2 वर्ष से अप्रयुक्त पड़े हैं। चूंकि राज्य में वर्तमान में लागू ई–स्टाम्पिंग व्यवस्था (स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0) के कारण इनकी भविष्य में बिक्री की संभावना नहीं है। जिसका वर्तमान समय में कोषागार स्तर पर विक्रय नहीं हो रहा है। जिसका विवरण परिशिष्ट निम्नवत् हैं:–

कोषागार/उपकोषागार का नाम	एक स्टाम्प का मूल्य (₹)	स्टाम्प की संख्या	स्टाम्प की कुल धनराशि (₹)
बागेश्वर	10	43	4,30
	50	43	2,150
	100	75	7,500
	500	4008	20,04,000
	1000	3459	34,59,000

	5000	162	8,10,000
	10000	625	62,50,000
	15000	244	36,60,000
	10	43	430
	50	43	2,150
	100	75	7,500
	500	4008	20,04,000
	1000	3459	34,59,000
	5000	162	8,10,000
	10000	625	62,50,000
	15000	244	36,60,000
		योग	**3,23,86,160**
गोपेश्वर	500	6802	34,01,000
	1000	4887	48,87,000
	5000	309	15,45,000
		योग	**98,33,000**
पिथौरागढ़	500	3080	15,40,000
	1000	3350	33,50,000
	5000	420	21,00,000
	10000	300	30,00,000
	15000	400	60,00,000
	20000	310	62,00,000
	25000	300	75,00,000
		योग	**2,96,90,000**
देहरादून	10	5	50
	500	5821	29,10,500
	1000	971	9,71,000
	10000	3019	3,01,90,000
	15000	306	45,90,000
	25000	3	75,000
		योग	**3,87,36,550**
उत्तरकाशी	10	20	200
	100	3	300
	500	2535	12,67,500
	1000	8534	85,34,000
	5000	4093	2,04,65,000
	10000	4131	4,13,10,000
	20000	621	1,24,20,000
		योग	**8,39,97,000**
लैन्सडाउन	20	3	60
	50	222	11,100
	500	1268	6,34,000
	1000	2899	28,99,000
	5000	136	6,80,000

	योग	42,24,160
	कुल योग	19,88,66,870

उत्तराखण्ड राज्य में ई–स्टाम्प व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोषागार/उपकोषागार में उपरोक्त विवरणानुसार विभिन्न श्रेणी के स्टाम्प अतिरिक्त मात्रा में द्वितालक कक्ष में विद्यमान हैं उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ई–स्टाम्प ऑनलाइन भी जारी किये जा रहे हैं। उक्त निष्प्रयोज्य स्टाम्पों की बिक्री कोषागार से नहीं होने से निस्तारण की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

3.4.3 कोषागार के द्वितालक कक्ष में **Cheque Books/Maker Cheques** का अनुपयोगी पाया जाना।

01.04.2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त Cheque Books का कोई उपयोग नहीं है। उक्त Cheque Books को नियमानुसार Dispose off किया जाना जरूरी है, ताकि किसी भी दुरूपयोग से बचा जा सके। कोषागार बागेश्वर, पिथौरागढ़, लैन्सडाउन एवं कोषागार देहरादून के निरीक्षण में कुल **10,815** Cheque Books अनुपयोगी पायी गयी हैं। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

कोषागार/उपकोषागार का नाम	क्रम संख्या	विवरण	मदों की संख्या
बागेश्वर	1.	PLA Cheques	4
	2.	Re- Payment Cheque Books	2
	3.	C.C.L. Cheque Books Forest: M.Irrigation: PWD Irrigation Cost. Div. :	 9 12 4 12
	4.	D.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M. Irrigation: Irrigation Cost. Div. :	 9 8 11 9 22
		योग	**102**
पिथौरागढ़	1.	PLA Cheques	12
	2.	Marker Cheque	7600
	3.	C.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M.Irrigation: Irrigation Const. Div.	 8 9 12 8
	04.	D.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M. Irrigation: RES : Irrigation Const. Div.	 10 10 11 14 8
		योग	**7702**
देहरादून	**1.**	PLA Cheques	56

	2.	Other Treasury	15
	3.	C.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M. Irrigation: RES :	 41 83 20 4
	4.	D.C.L. Cheque Books Forest: PWD: M. Irrigation: RES : PWD DLL :	 91 44 14 16 109
		योग	**493**
लैन्सडाउन	**1**	PLA Cheques	**8**
	2	Treasury Cheques	**2200**
	3	Receipt No. 385	**235**
	4	C.C.L. Cheque Books Forest: Irrigation Const. Div PWD:	 **10** **12** **15**
	5	D.C.L. Cheque Books Forest: Irrigation Const. Div PWD:	 **15** **15** **8**
		योग	**2,518**
		कुल योग	**10,815**

3.4.4 कोषागार में डबल लॉक के बाहर स्थापित अग्निशमन उपकरणों की ससमय रिफलिंग न करवाया जाना।

उपकोषागार/कोषागार में आग लगने की स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित होने चाहिए। कोषागार के महत्वपूर्ण अभिलेखों/उपकरणों (कम्प्यूटर आदि) तथा बहुमूल्य मदों/स्टाम्पों की सुरक्षा हेतु उक्त से सम्बन्धित सभी कमरों के बाहरी दीवारों पर अग्निशमन अधिकारी की अनुशंसानुसार अग्निशमन यंत्र स्थापित किए जाने चाहिए जिससे अचानक आग लगने की स्थिति में इनका प्रयोग कर कोषागार की आग से सुरक्षा की जा सके। परन्तु निम्न उपकोषागारों/कोषागारों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को रिफिलिंग की समाप्ति तिथि निकल जाने के पश्चात् भी रिफिलिंग नहीं करवायी गयी जो कि बहुत गम्भीर लापरवाही है तथा ऐसी स्थिति में आगजनी की घटना में काफी हानि होने की प्रबल संभावना है।

कमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	अग्निशमन यंत्रों की संख्या
1	भिकियासैंण	04
2	गरूड़	01
3	लैन्सडाउन	03
4	नरेन्द्रनगर	11

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.10.2010 को कोषागार नैनीताल भवन में हुए भीषण अग्निकांड के कारण कोषागार में अभिलेखों एवं भवन को भारी नुकसान पूर्व में हो चुका है।

3.4.5 द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु निर्धारित पुलिस गार्ड के सापेक्ष कम नियुक्ति/तैनाती होना।

कोषागारों के द्वितालक/एकतालक कक्ष की सुरक्षा से सम्बन्धित स्वीकतृ/निर्धारित गार्ड का पुलिस अधीक्षक का आदेश एवं गार्डवीट की जांच में पाया गया कि उक्त द्वितालक कक्ष की सुरक्षा हेतु स्वीकृत बीट संतरी के सापेक्ष कम संतरियों की तैनाती पायी गई जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	स्वीकतृ बीट संतरी के पद	तैनात बीट संतरियों की संख्या या
1	कोटद्वार	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल एवं 03 कांस्टेबल
2	अल्मोड़ा	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	02 कांस्टेबल
3	देहरादून	01 हैड कांस्टेबल एवं 04 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल
4	चम्पावत	01 हैड कांस्टेबल एवं 03 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल
5	पिथौरागढ़	02 हैड कांस्टेबल एवं 07 कांस्टेबल	01 हैड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल

पुलिस गार्ड की मानक के सापेक्ष कम तैनाती द्वितालक कक्ष की सुरक्षा के प्रति उदासीनता एवं जोखिम भरा कदम है।

3.5 पेंशन भुगतान से सम्बन्धित त्रुटियाँ एवं अनियमितताएं ।

3.5.1 उत्तराखण्ड सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्त लाभों के कम या अधिक भुगतान के सम्बन्ध में।

सेवानिवृत्त लाभों की गणना एवं भुगतान सामान्यतः निर्धारित पेंशन नियमों के अधीन सुनिश्चित कराना, पेंशन भुगतान आदेश जारीकर्ता एवं सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है तथा सेवानिवृत्त लाभों के अधिक एवं कम भुगतान की सम्भावनाओं को दूर कराना सम्बन्धित कोषागार का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोषागार द्वारा समस्त सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित नियमों एवं इस विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार भुगतान करना अपेक्षित है।

निरीक्षण में यह पाया गया कि विभिन्न कोषागारों द्वारा सेवानिवृत्त लाभों जैसे कि पेंशन, उपादान एवं राशिकरण का भुगतान करते समय निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण सेवानिवृत्त लाभों के कई प्रकरणों में अधिक भुगतान किया गया और कई प्रकरणों में कम भुगतान किया गया। विवरण **परिशिष्ट–(17)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(17)

3.5.2 अन्य राज्यों के पेंशनरों को निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान न करना या कम दर से करना।

अन्य राज्यों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित दर से प्रत्येक माह चिकित्सा भत्ते का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके आधार पर राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों के पेंशनरों को मासिक चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना कोषागार का दायित्व है। निरीक्षण में यह पाया गया कि कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इन पेंशनरों को देय चिकित्सा भत्ते के लाभ से वंचित रहना पड़ता है तथा साथ ही ऐसे आदेशों का उल्लंघन भी हो रहा है। विवरण **परिशिष्ट–(18)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(18)

3.5.3 कोषागार डाटा बेस में 69 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि को अंकित न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के 80,85,90,95 एवं 100 वर्ष की आयु–वर्ग के पेंशनरों को मूल पेंशन के अलावा 20,30,40,50 एवं 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जीवित होने के प्रमाण–पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रत्येक वर्ष के माह नवम्बर में प्रस्तुत करने की बाध्यता को हटाते हुए ऐसे प्रमाण–पत्र को (जो लागू हों) सम्बन्धित पेंशनर की सेवानिवृत्ति के माह में प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सेवानिवृत्ति तिथि, जन्म तिथि से सीधे सम्बन्धित होती है। अतः डाटा बेस में जन्म तिथि अंकित किया जाना अति आवश्यक है ताकि उक्त आदेश की निगरानी/नियंत्रण किया जा सके एवं पात्र पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन (Old Age Pension) का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। विवरण **परिशिष्ट–(19)** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट–(19)

3.5.4 पश्चिम बंगाल सरकार के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान न किया जाना।

पश्चिम बंगाल सरकार के शासनादेश संख्या 256-F(Pen)/1P-1(16)/11 दिनांक 29.05.2019 के अनुसार वर्ष 2019 में Ex-gratia ₹ 2,100/– दिनांक 13.05.2020 के अनुसार वर्ष 2020 में Ex-gratia ₹ 2,200/–, 1725-F (P2), दिनांक 06.05.2021 के अनुसार वर्ष 2021 में Ex-gratia ₹ 2,500/– 1494-F(P2), दिनांक 18.04.2022 के अनुसार वर्ष 2022 में Ex-gratia ₹ 2,700/– एवं 1573-F (P2) एवं दिनांक 28.03.2023 के अनुसार वर्ष 2023 में Ex-gratia ₹ 2,900/– 1484-F (P2) का भुगतान किया जाना था। परन्तु उत्तराखण्ड के विभिन्न कोषागारों/उपकोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पश्चिम बंगाल सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को Ex-gratia का भुगतान निर्धारित दरों से नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	2019	2020	2021	2022	2023	कुल राशि (₹) में
1	बागेश्वर	5	2,100	2,200	2,500	2,700	2,900	62,000
2	धारचूला	1	शून्य	शून्य	2,500	2,700	2,900	8,100
3	डुण्डा	2	शून्य	2,200	2,500	2,700	2,900	20,600
4	लैन्सडाउन	20	2,100	2,200	2,500	2,700	2,900	2,48,000
5	नैनीताल	1	2,100	2,200	2,500	2,700	शून्य	9,500
6	नरेन्द्रनगर	1	शून्य	शून्य	शून्य	2,700	शून्य	2,700
7	पिथौरागढ़	4	शून्य	शून्य	2,500	2,700	2,900	32,400
8	रूद्रप्रयाग	15	शून्य	शून्य	शून्य	2,700	2,900	84,000
9	टिहरी गढ़वाल	5	2,100	शून्य	2,500	2,700	2,900	51,000
10	भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली	1	शून्य	शून्य	शून्य	2,700	शून्य	2,700
11	उत्तरकाशी	2	शून्य	2,200	2,500	2,700	2,900	20,600
	कुल योग	57	8,400	11,000	20,000	29,700	23,200	5,41,600

3.6 कोषागार/उपकोषागार में **IFMS** प्रणाली से सम्बन्धित अनियमितताओं एवं त्रुटियों का पाया जाना।

राज्य सरकार के शासनादेश संख्या XXVII (6)/430,d/2008/2019 दिनांक 19.03.2019 सहपठित 480/XXVII (6)/430 एक/2016/2019 दिनांक 11.12.2020, XXVII (6)/430 एक/2018/2019 दिनांक जुलाई, 2019 द्वारा राज्य में IFMS प्रणाली लागू की गयी एवं स्पष्ट निर्देश कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारियों को उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये कि पूरा काम IFMS प्रणाली के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

कोषागार हरिद्वार, कोषागार कोटद्वार, कोषागार नरेन्द्रनगर, उपकोषागार नारायणबगढ़, कोषागार पिथौरागढ़, उपकोषागार पोखरी, उपकोषागार चौखुटिया, उपकोषागार ताकुला, वेतन एवं भुगतान कार्यालय नई दिल्ली, कोषागार देहरादून, वेतन एवं भुगतान कार्यालय नई दिल्ली, उपकोषागार गरूड़, उपकोषागार द्वाराहाट, उपकोषागार गोपेश्वर एवं उपकोषागार जोशीमठ में वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के निरीक्षण में लेखों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच IFMS Portal (नमूना माह मार्च, 2024) पर किये जाने पर निम्नलिखित त्रुटियां पायी गई हैः–

1- IFMS पर कोषागार हरिद्वार के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी के विवरण की जांच में संज्ञान में आया कि कुल 10 आहरण वितरण अधिकारियों के TAN No. दर्ज नहीं हैं।

2- IFMS पर उपकोषागार कोटद्वार के अन्तर्गत कुल 84 आहरण वितरण अधिकारियों की दर्ज ई–मेल आई0डी0 आधिकारिक अर्थात् NIC द्वारा आवंटित नहीं हैं। साथ ही कुल 13 आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं हैं तथा कुल 3 आहरण वितरण अधिकारियों के TAN No. भी दर्ज नहीं हैं।

3- वाउचरों के मुख्य पृष्ठ पर आहरण एवं वितरण अधिकारियों के e-sign उपलब्ध नहीं थे।

4- IFMS Portal के Data base में अधिकतर आहरण वितरण अधिकारियों के आधिकारिक (Official) ई–मेल (e-mail) व मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किये गये हैं।

5- कोषागार पिथौरागढ़ में IFMS पोर्टल पर माह 12/2023 के सामान्य भविष्य निधि शैडयूलों (SCHEDULES) की जाँच करने पर पाया गया कि, संलग्नक सूची में सामान्य भविष्य निधि Shedule में अभिदताओं का सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या (GPF ACCOUNT NUMBER) के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी से भिन्न सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या दर्ज नहीं की गयी है।

6- IFMS Software में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं NIC ई–मेल आई ड़ी दर्ज नहीं है।

7- उपकोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के फॉर्म–4 की जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में आई0एफ0एम0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत जनरेट हो रहे फॉर्म–4 में कुछ पेंशनरों की जन्म तिथि दर्ज नहीं है।

8- नमूना माह मार्च 2023 मे आई0एफ0एम0एस0 की भुगतान सूची के Details of the Head Code के अन्तर्गत लगभग सभी (कतिपय मामलो को छोडकर) सम्बन्धित लेखा–वर्गीकरण के Short Description दर्ज नहीं है।

9- IFMS Portal पर उपलब्ध Cash Account के विभिन्न माह अप्रैल, नवम्बर, दिसम्बर 2022, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2023) की जॉच में मुख्य लेखाशीर्ष 8793 के अन्तर्गत 8793001020100 के Short Description में No Name Found दर्ज है जबकि 8793 में राज्यवार विवरण उपलब्ध होना चाहिए। संबंधित राज्य का नाम न होने के कारण मासिक सिविल लेखा में उच्चंत लेखाशीर्ष में दर्ज किया जा रहा है तथा IFMS Portal पर उपलब्ध List of payment की नमूना जॉच में निम्न सारणी के अनुसार Short Description में No Name Found दर्ज है।

10- IFMS Portal पर उपलब्ध e-sign document की Loan Schedule report की माह जुलाई 2023 की नमूना जॉच में कोषागार देहरादून द्वारा कार्मिको को दिये गये हाऊस बिल्डिंग एडवांस–I एवं II, हाऊस बिल्डिंग इन्टरेस्ट– I एवं II तथा हाऊस रिपेयरिंग एडवांस से संबंधित संलग्न सूची में हाईलाइटेट प्रकरणों में Loan Balance Amount में ऋणात्मक धनराशि अर्थात् अधिक Repayment Amount प्रदर्शित हो रहा है।

11- IFMS Portal पर उपलब्ध e-sign document की Loan Schedule report की माह जुलाई 2023 की नमूना जॉच में कोषागार देहरादून द्वारा कार्मिको को दिये गये हाऊस बिल्डिंग एडवांस–I एवं II, हाऊस बिल्डिंग इन्टरेस्ट– I एवं II तथा हाऊस रिपेयारिंग एडवांस से संबंधित संलग्न सूची में हाईलाइटेट प्रकरणों में Paid number of Installment एवं Monthly Installment Amount की गणना करने पर प्राप्त Total Amount Paid संलग्न सूची में प्रदर्शित Recovery Till Date की Amount से भिन्न है।

12- वित्तीय वर्ष 2022–23 में आकस्मिकता निधि से कोषागारों द्वारा हुए व्यय की IFMS module में दर्शाई गई रिपोर्ट (Report>Budget >contingency detail) में एवं वास्तविक व्यय में अंतर प्रदर्शित हो रहा है। उदाहरणार्थ, कोषागार हरिद्वार की उक्त रिपोर्ट में धनराशि रू0 28,33,23,750 दर्शाई गई है जबकि उक्त कोषागार में कुल धनराशि रू0 28,47,03,428 का पुस्तांकन हुआ है।

13- उपकोषागार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के पेंशन डाटाबेस/फॉर्म–4 में पी0पी0ओ0 संख्या, आधार संख्या, पैन संख्या, बैंक खाता, जन्मतिथि, मोबाईल संख्या इत्यादि का दर्ज होना अनिवार्य है। विशेषकर वर्तमान परिस्थितियों में जहां पेंशनरों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र OTP पर आधारित हैं एवं बैंक खातों का आधार कार्ड से लिंकिंग, जन्मतिथि के आधार पर Old Age Pension निर्धारित होता है।

14- माह–सितम्बर 2023 में राष्ट्रीय बचत निदेशालय के समाप्त होने के फलस्वरुप 4292–जिला बचत अधिकारी का डी0डी0ओ0 कोड निरस्त करते हुए विभाग के कार्मिकों का अन्यत्र समायोजन कर लिया गया था। परन्तु उक्त डी0डी0ओ0 कोड अब भी IFMS डाटाबेस में सक्रिय आहरण वितरण अधिकारियों की सूची में प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही, 2284–अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चमोली का नाम भी IFMS डाटाबेस में सक्रिय आहरण वितरण अधिकारियों की सूची में प्रदर्शित हो रहा है, जबकि वर्तमान में इस कोषागार के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चमोली के नाम से कोई आहरण वितरण अधिकारी सक्रिय नहीं है।

15- उपकोषागार जोशीमठ के आई एफ एम एस डाटाबेस में सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के माह 05/2023 के शैड्युल की जाँच करने पर पाया गया की वाउचर संख्या A22020138 में अभिदाता श्री विष्णु प्रसाद भट्ट सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में prefix श्रृंखला (series) को नहीं दर्शाया गया है केवल लेखा संख्या के स्थान पर/50685 ही अंकित किया गया है श्रृंखला या अभिदाता का पूरा खाता संख्या न होने के अभाव में अभिदाता का मासिक अभिदान/एरियर उनके सही खाते में प्रविष्ठ नहीं हो पा रहा है।

3.7 सैनिक पेंशनरों को Defence Pension Disbursement Officer (DPDO) देहरादून को हस्तानांतरित नहीं किया जाना।

निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड के पत्रांकः 991/22(5)/(ii)सैन्य पेंशन पत्राचार/नि0को0वि0से0/2013 दिनांक 16-09-2013 में दिए हुए निर्देशों के अनुसार सभी सैनिक पेंशनरों को राष्ट्रीय बैंकों से पेंशन दिए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। परन्तु कोषागार चम्पावत, देवाल, कोटद्वार, सतपुली से पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक पेंशनरों के पी. पी.ओ. इत्यादि Defence Pension Disbursement Officer (DPDO), देहरादून प्रेषित नहीं किये गये हैं। सैनिक पेंशनरों पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागार/उपकोषागार से किया जा रहा है, का विवरण **परिशिष्ट–(20)** में है।

परिशिष्ट–(20)

3.8 पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं होना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 266 / 45@XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनरीक्षण कर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। परन्तु निरीक्षण में पाया गया कि कुछ कोषागारों / उपकोषागारों द्वारा पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है :—

क्रमांक	कोषागार / उपकोषागार का नाम	पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की संख्या
1.	कोटद्वार	2
2.	धारी	1
3.	गोपेश्वर	1
4.	नैनीताल	1
5.	पिथौरागढ़	3
6.	पुरोला	1
7.	रामनगर	2
8.	टिहरी गढ़वाल	12

3.9 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1088/XXVII(3)पे / 2004 दिनांक 26.08.2004 के प्रस्तर—3 के अनुसार कोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनरों के स्त्रोत पर आयकर की कटौती करके प्रपत्र—16—ए (आयकर) को बैंक के माध्यम से पेंशनर को उपलब्ध कराना चाहिए परन्तु अधिकांश कोषागारों द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया जा रहा है कोषागार के स्तर से न तो स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई और न ही पेंशनरों से आयकर स्वतः जमा कराने के सापेक्ष में कोई प्रामण—पत्र लिया गया। वर्ष 2023—24 में निरीक्षण दलों द्वारा उपकोषागार खटीमा, कोषागार ऊधमसिंहनगर एवं कोषागार रानीखेत में जांचे गये अधिकांश प्रकरणों में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन का योग 05 लाख से अधिक है परन्तु इनके आयकर संबंधित कटौती / गणना / बचत संबंधित कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। विवरण निम्नवत् हैः—

कोषागार / उपकोषागार का नाम	क्रम सं0.	पेंशनर का नाम	GRD सं0	वर्ष 2023—24 में आहरित पेंशन (₹) में	कुल पेंशन (₹) में	आयकर कटौती
खटीमा	1.	केशरी चन्द्र ठाकुर	C01S91572	11,85,872	12,35,872	शून्य
ऊधमसिंहनगर	1.	सोबरन सिंह	E02S04980	15,99,694	16,49,694	शून्य
	2.	इन्द्रजीत सिंह	E02S04891	17,53,423	18,03,423	शून्य
	3.	गोपाल कृष्ण द्विवेदी	E02S04928	17,53,423	18,03,423	शून्य
	4.	कमेन्द्र सिंह	E02S04982	15,99,694	16,49,694	शून्य
	5.	देवबृत सिंह	E02S04998	18,09,625	18,59,625	शून्य
	6.	कुमार सुधांशु शेखर	E02S04991	17,50,527	17,00,527	शून्य
	7.	उमेश चन्द्र जोहरी	E02S04806	15,05,473	15,55,473	शून्य
	8.	सुरेन्द्र कुमार	E02S04984	16,49,284	16,99,284	शून्य
रानीखेत	1.	पदम सिंह कुवरबी	C01S30812	10,09,312	10,09,312	शून्य

	2.	इम्तियाज अहमद खान	C01S81083	8,94,934	8,94,934	शून्य
	3.	उमा रावत	E03S11364	4,41,227	4,41,227	शून्य
			E01S01849	3,02,704	3,02,704	शून्य
	4.	कमला सत्याबोला	E03S11844	4,28,792	4,28,792	शून्य
			C01S233744	3,41,140	4,28,792	शून्य

3.10 स्टाम्प एवं नकदी के भंडारण एवं अभिरक्षा हेतु बैंकों में प्रयोग की जाने वाली 02 चाबी वाली सेफ का क्रय ना किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, के वित अनुभाग–6 के शासनादेश सं0 39/XXVII(6)/2013 दि0 18.01. 2013 के अनुसार राज्य के उपकोषागारों में द्वितालक कक्ष की व्यवस्था को समाप्त करते हुए स्टाम्प एवं नकदी के भंडारण एवं अभिरक्षा हेतु बैंकों में प्रयोग की जाने वाली 02 चाबी वाली सेफ का क्रय किया जाना प्रावधानित था। सभी उपकोषागारों में स्थापित सेफ में रक्षित स्टाम्प, नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी या डकैती अथवा अन्य किसी कारण से नुकसान की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से बीमा कराये जाने का प्रावधान था।

ऐसे कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण निम्नवत् है जिसमें 'सेफ' में रक्षित स्टाम्प एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी/डकैती अथवा अन्य कारण से नुकसान की स्थिति में प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनियों से बीमा नहीं करवाया गया है:–

क्रम सं0	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	भिकियासैंण
2.	जोशीमठ
3.	ताकुला
4.	द्वाराहाट

3.11 राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती की वापसी की संस्तुति में विलम्ब होना।

राज्य सरकार स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड देहरादून एंव निदेशक, कोषागार पेंशन एंव हकदारी उत्तराखंड के पत्र स०एस०एच०ए०/वित्त/अंश वाप/2022–23/16/1606 दिनांक 15.03.2023 एंव स० नि०को०पे०ह०/एफ.डी.सी./एस०जी०एच०एस०/641/2022 दिनांक 03.05.2023 क्रमशः के अनुसार समस्त राजकीय कार्मिकों की अंशदान धनराशी स्वास्थ्य योजना की वापसी हेतु राजकीय कोषागारों/उपकोषागारों से आपेक्षित थी की वापसी हेतु वांछित विवरण निर्धारित ई–मेल के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाये जिससे सम्बंधित लाभार्थियों को स्वास्थ्य अंशदान की वापसी समय से सुनिश्चित हो सके। परन्तु अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कोषागार/उपकोषागार स्तर पर इस सम्बन्ध में चार माह का समय बीत जाने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा तद्दिनांक तक वांछित विवरण प्राधिकरण को प्रेषित नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप सम्बंधित पेंशनर को अंशदान की राशी से वंचित होना पड़ा है। जबकि उपकोषागार के अभिलेखों के अनुसार पेंशनरों ने ऑप्शन विकल्प फॉर्म भर कर प्रस्तुत किये हैं कि किस कारणवश वांछित विवरण अभी तक प्रेषित नहीं किये गये हैं।

ऐसे कोषागारों/उपकोषागारों का विवरण निम्नवत् है जहां पर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती की वापसी की संस्तुति में विलम्ब हो रहा है:–

क्रम सं0	कोषागार / उपकोषागार का नाम
1.	नैनीताल
2.	कोश्याकुटोली
3.	रामनगर

3.12 IFMS Software में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं NIC ई–मेल आई डी दर्ज नहीं होना।

राज्य के समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMS की व्यवस्था लागू किये जाने से सम्बन्धित उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 के बिन्दु (1) सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश–उप बिन्दु (7) के अनुसार ''IFMS पोर्टल पर कार्य के लिए सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को राज्य एन0आई0सी0 द्वारा सरकारी ई–मेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पोर्टल पर कार्य करने के लिए यूजर्स का व्यक्तिगत ई–मेल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।''

कोषागार द्वारा प्रदान की गई उनके अधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की सूची की जांच में निम्न तथ्य संज्ञान में आया है कि उपकोषागार डीडीहाट, उपकोषागार चमोली, उपकोषागार धारचूला, उपकोषागार डीडीहाट, उपकोषागार जोशीमठ, उपकोषागार नाचनी, कोषागार पिथौरागढ़, उपकोषागार पोखरी, उपकोषागार ताकुला, कोषागार रानीखेत, पी0ए0ओ0 नई दिल्ली के निरीक्षण में यह भी पाया गया कि IFMS प्रणाली के माध्यम से मासिक लेखाओं को जनरेट किया जा रहा है परंतु IFMS Software में आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाईल नंबर एवं NIC ई–मेल आई ड़ी दर्ज नहीं है। जिससे Fail Transaction से संबंधित समस्याओं हेतु उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट
1 से 20 तक

(परिशिष्ट—1) पैरा—1.2
उत्तराखण्ड स्थित कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	क्र.स.	कोषागार का नाम	क्र.स.	उपकोषागार का विवरण	बैंकिंग / नान बैंकिंग
1	नैनीताल	1	नैनीताल	1.	1. बेतालघाट	बैंकिंग
				2.	2. कोशियाकुटोली	बैंकिंग
				3.	3. रामनगर	बैंकिंग
				4.	4. कालाढूँगी	बैंकिंग
				5.	5. धारी	बैंकिंग
		2	हल्द्वानी		कोई नहीं	बैंकिंग
2	उधमसिंहनगर	3	उधमसिंहनगर	6.	1. जसपुर	बैंकिंग
				7.	2. काशीपुर	बैंकिंग
				8.	3. बाजपुर	बैंकिंग
				9.	4. गदरपुर	बैंकिंग
				10.	5. किच्छा	बैंकिंग
				11.	6. सितारगंज	बैंकिंग
				12.	7. खटीमा	बैंकिंग
3	अल्मोड़ा	4	अल्मोड़ा	13.	1. भिकियासैंण	बैंकिंग
				14.	2. ताकुला	बैंकिंग
				15.	3. लमगड़ा	बैंकिंग
				16.	4. मौलेखाल	बैंकिंग
				17.	5. चौखुटिया	बैंकिंग
				18.	6. द्वाराहाट	बैंकिंग
				19.	7. दन्या	बैंकिंग
				20.	8. देघाट	बैंकिंग
				21.	9. सोमेश्वर	बैंकिंग
		5	रानीखेत		कोई नही	बैंकिंग
4	पिथौरागढ़	6	पिथौरागढ़	22.	1.बेरीनाग	बैंकिंग
				23.	2.डीडीहाट	बैंकिंग
				24.	3.मुनस्यारी	बैंकिंग
				25.	4.धारचूला	बैंकिंग
				26.	5.अस्कोट	बैंकिंग
				27.	6.थल	बैंकिंग
				28.	7.गणाई गंगोली	बैंकिंग
				29.	8.गंगोलीहाट	बैंकिंग
				30.	9.देवलथल	बैंकिंग
				31.	10- नाचनी	बैंकिंग
5	बागेश्वर	7	बागेश्वर	32.	1. कपकोट	बैंकिंग

				33.	2. गरूड़	बैंकिंग
				34.	3. काण्डा	बैंकिंग
				35.	4. ढुंगनाकुरी	बैंकिंग
6	चम्पावत	8	चम्पावत	36.	1. पाटी	बैंकिंग
				37.	2. लोहाघाट	बैंकिंग
				38.	3. टनकपुर	बैंकिंग
7	देहरादून	9	देहरादून	39.	1. ऋषिकेश	बैंकिंग
				40.	2. विकासनगर	बैंकिंग
				41.	3. मसूरी	बैंकिंग
				42.	4. त्यूनी	बैंकिंग
				43.	5. चकराता	बैंकिंग
		10	साईबर ट्रेजरी, देहरादून		कोई नही	बैंकिंग
8	हरिद्वार	11	हरिद्वार	44.	1. हरिद्वार	बैंकिंग
		12	रूड़की	45.	2. लक्सर	बैंकिंग
9	नई टिहरी	13	नई टिहरी	46.	1. देवप्रयाग	बैंकिंग
				47.	2. घनसाली	बैंकिंग
				48.	3. थत्यूड़	बैंकिंग
				49.	4. प्रतापनगर	बैंकिंग
				50.	5. नैनबाग	बैंकिंग
		14	नरेन्द्रनगर	कोई नही		बैंकिंग
10	रूद्रप्रयाग	15	रूद्रप्रयाग	51.	1.अगस्तमुनी	बैंकिंग
				52.	2.ऊखीमठ	बैंकिंग
				53.	3.जखोली	बैंकिंग
11	पौड़ी	16	पौड़ी गढ़वाल	54.	1.श्रीनगर	बैंकिंग
				55.	2.सतपुली	बैंकिंग
				56.	3.थैलीसैंण	बैंकिंग
				57.	4.धूमाकोट	बैंकिंग
		17	कोटद्वार	कोई नही		बैंकिग
		18	लैन्सडाउन	कोई नही		बैंकिग
12	चमोली	19	चमोली (गोपेश्वर)	58.	1.कर्णप्रयाग	बैंकिंग
				59.	2.थराली	बैंकिंग
				60.	3.जेशीमठ़	बैंकिंग
				61.	4.घाट	बैंकिंग
				62.	5.पोखरी	बैंकिंग
				63.	6.गैरसैंण	बैंकिंग
				64.	7.नारायणबगड़	बैंकिंग
				65.	8.देवाल	बैंकिंग
				66.	9.चमोली	बैंकिंग

13	उत्तरकाशी	20	उत्तरकाशी	67.	1.पुरोला	बैंकिंग
				68.	2.भटवाड़ी	बैंकिंग
				69.	3.डुण्डा	बैंकिंग
				70.	4.राजगढ़ी (बड़कोट)	बैंकिंग
14	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली	21	भुगतान एवं लेखा कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली		कोई नही	बैंकिंग

(परिशिष्ट–2) पैरा–2.2
त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण का लेखा संशोधन

S.No.	Name of Treasury	Total No. of cases received	No. of cases admitted	No. of cases returned for want of any information	Total no. of correction executed	Amount adjusted in (₹)	
						Receipt	payment
1.	Haridwar	4	4	0	4	6,71,874	12,00,000
2.	Rudraprayag	7	7	1	6	22,28,651	--
3.	Nainital	12	12	2	10	17,35,385	--
4.	Almora	6	6	3	3	15,500	--
5.	Udham Singh Nagar	17	17	7	10	2,29,300	--
6.	Chamoli	12	12	3	9	23,93,584	--
7.	Haldwani	6	6	0	6	2,30,834	21,30,430
8.	Kotdwar	6	5	0	5	2,70,900	--
9.	Cyber	6	6	0	6	3,37,565	8,52,538
10.	Dehradun	7	4	1	3	53,987	5,14,431
11.	Tehri Garhwal	3	0	0	0	--	--
12.	Pithoragarh	2	2	0	2	84,800	--
13.	Bageshwar	6	6	0	6	62,500	--
14.	Uttarkashi	5	5	1	4	31,49,282	--
15.	Roorkee	4	4	1	3	5,41,878	8,20,303
16.	Pauri Garhwal	3	3	0	3	22,80,000	--
17.	Champawat	2	2	0	2	4,90,224	2,00,000
18.	Landowne	1	0	0	0	--	--
	Total	**109**	**101**	**19**	**82**	**1,47,76,264**	**57,17,702**

(परिशिष्ट–3) पैरा–2.3
विभिन्न बजट अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 त्रैमासिक आय–व्ययक मिलान की स्थिति

क्रम सं.	बजट नियंत्रण अधिकारियों / विभागाध्यक्षों का नाम	प्राप्ति शीर्ष	अनुदान सं0	व्यय शीर्ष	1st	2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th
					व्यय पक्ष मिलान स्थिति				प्राप्ति पक्ष मिलान स्थिति			
1	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।		01	2011, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
2	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।		02	2012	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
3	सचिव / वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।		03,06, 07	2013, 2070, 2052	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	..	..	..	..
4	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।		04	2014, 4059	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	..	..	..	..
5	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, 4,सुभाष रोड, देहरादून।		05	2015	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	..	..	..	..
6	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड, लाड़पुर, देहरादून।	0029	06	2029, 2053, 4059	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
7	सचिव, सामान्य	0070	06,07	2053,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण

	प्रशासन, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।			2070, 4059, 2052								
8	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड दून हिल्स कालोनी, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।	0070	06	2070, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
9	निदेशक, डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।	0075	06	2070, 2075	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
10	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।		06	2245	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	..	..	..	..
11	कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून।	0030,0040,0045	07	2030,2040, 2045	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
12	निदेशक, राष्ट्रीय बचत, 48, बलबीर	0047	07	2047	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
13	रजिस्ट्रार, चिट फण्ड, उत्तराखण्ड,	0047, 1475	07	2047	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	3/23, शास्त्री नगर रोड, देहरादून।											
14	प्रमुख, सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049, 2052,3604, 4059, 4216, 4515	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	..	..	..	..
15	सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।		07	2048,2049, 2052,3604, 4059,4216, 4515	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
16	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।		07	2054	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	..	..	..	..
17	निदेशक, विभागीय लेखा, 23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।	0071	07	2054, 2071	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
18	सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, विभाग, उत्तराखण्ड।		07	3451,3454, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	..	..	..	..
19	आयुक्त, आबकारी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	0039	08	2039, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
20	सचिव,	0051	09	2051,	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	आंशिक

	लोक सेवा आयोग गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार।			4059								
21	महानिदेशक, पुलिस, 12, सुभाष रोड, देहरादून।	55	10	2055, 4055, 4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
22	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड़, देहरादून।	0056	10	2056, 4059	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
23	निदेशक, उच्च शिक्षा, नबावी रोड़, हल्द्वानी ।	0202	11,30, 31	2202, 4202	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
24	निदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय, उत्तराखण्ड पी–1, नागनाथ रोड, घंघोडा कैन्ट, देहरादून।	0202,	11	2202, 4202	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	..	..	..	..
25	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, नूनर खेडा, देहरादून।	0202,	11,30, 31	2202, 4202	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक
26	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मुख्यालय श्रीनगर,	0202	11,30	2203, 4202, 2203	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक

	पौडी गढ़वाल, (कैम्पस रा0 पालीटेक्नीक)।										
27	निदेशक, खेलकूद एवं युवा कल्याण, रायपूर, देहरादून।	0202	19,11, 30,31	2515, 2204, 4202	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
28	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, एम,डी,डी,ए, कालोनी, डालनवाला, देहरादून।	0202	11,30, 31	2205, 4202	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण
29	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेंवायें, उत्तराखण्ड़ देहरादून।	0210, 0211	12,30, 31	2210, 2211, 4210, 4211	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	आंशिक
30	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड़, देहरादून।	0210	12,30	2210,4210	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	नहीं	पूर्ण	पूर्ण
31	निदेशक, होम्योपैथी सेवायें उत्तराखण्ड, ग्राम	0210	12,30, 31	2210, 4210	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

	गुलराडा, पो0 डाण्डा लखौड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, निकट आई टी0 पार्क, देहरादून।										
32	प्राचार्य, श्री वीरचन्द्र सिंह, गढ़वाली रा0 आर्युविज्ञान संस्थान, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल।	0210	12	2210,4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
33	सचिव, जलापूर्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0215	13,30, 31	2215,4215, 2215	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
34	सचिव, आवास एवं नगर विकास, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0216, 0217	13,30, 31	2217, 4217	नहीं	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
35	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उदय विहार, ब्राहमणवाला, हरिद्वार बाई पास रोड, देहरादून ।		13,19	2217,4217, 2515,4059, 4515	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	——	——	——	——
36	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, 12 ई0सी0 रोड,	0220	14,30, 31	2220,4059	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	देहरादून ।											
37	निदेशक, समाज कल्याण, कालाढूंगी रोड़, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी, नैनीताल।	0235, 0250	15,30, 31	2225,2235,2250,2251, 4225,4235,4250,2225,2235, 4225, 4235	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक
38	उप निदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास उत्तराखण्ड, 15 सी, कालीदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून।		15,30, 31	2225,2225,2235,4225, 4235	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--
39	आयुक्त, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	0230	16,30, 31	2210,2230,4216,2210, 2230,4210	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण
40	निदेशक, कृषि कैंप कार्यालय, नंदा की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून।	0401	17,30, 31	2401,2402, 2415,4401, 2401,2402	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
41	वित्त नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर।		17	2415,4401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	--	--	--	--

42	निदेशक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर, ऊधम सिहं नगर।	0401	17,30, 31	2401,4401, 2401	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
43	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, 125, ओल्ड नेहरू कालोनी, देहरादून।	0425	18,30, 31	2425,4425	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
44	आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।	515	07,19, 30,31	4515,2501,25 15,4515, 2501,2515, 4059,4515	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
45	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, यमुना कालोनी, देहरादून।	0700, 0701, 0702	20,30, 31	2700,2701,27 02,2705,2711, 4700,4701,47 02,4711,4700, 4702,4711	आंशिक	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	आंशिक	आंशिक	आंशिक
46	सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।	0801, 0810	21,30, 31	2801,2810, 4801	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	नहीं	नहीं	आंशिक
47	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।	0059	22,30, 31	2059,2216,30 54,4059, 5054,	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	नहीं	आंशिक	आंशिक
48	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन	0058	23	2058,4058	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	सामग्री, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की।											
49	निदेशक, उघोग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0851, 0852, 0853, 0875	23,30, 31	2851,2853,3425,4851,4859, 4885, 2851	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
50	सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून।	0851, 0852, 0853, 0875	23,30, 31	2851,2853,3425,4851, 4859,4885, 2851	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
51	निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, वित्त एवं लेखा कार्यालय सहस्त्रधारा हैलीड्रोम, च्व्व कुल्हान, देहरादून 248013	1053	24	3053,5053, 5055	पूर्ण	पूर्ण	नहीं	पूर्ण	नहीं	नहीं	नहीं	पूर्ण
52	आयुक्त, परिवहन, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	1055	24,30, 31	3055,5055	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक
53	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 8 ए बंगाली लाइब्रेरी रोड,	0408	25	2408,3456,3475,4408	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	देहरादून।											
54	सचिव, खाद्य नियन्त्रक बाट तथा माप, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	1475	25	3475	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
55	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, 3/3 इण्डस्ट्रिल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।	1452	26,30, 31	3452,5452	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
56	प्रमुख वन सरंक्षक उत्तराखण्ड, 87 राजपुर रोड, देहरादून।	0406	27,30, 31	2406,2407,4406,2406,4406, 2406	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
57	निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, पो0 मोथरोवाला, देहरादून।	0403	28,30, 31	2403, 4403	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	आंशिक	आंशिक	पूर्ण
58	आयुक्त, दुग्ध डेयरी, डेवलेपमेन्ट विभाग, उपनिदेशक डेयरी, विकास विभाग संपर्क, कार्यालय कैपस, आंचल डेरी,	0404	28,30, 31	2404,4404	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण

	रायपुर, देहरादून।											
59	निदेशक, मतस्य उत्तराखण्ड, बाड़ासी ग्रान्ट, ग्राम घन्याड़ी, रायपुर, देहरादून।	0405	28,30, 31	2405,4405,24 05	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
60	निदेशक, उद्यान निदेशालय, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।	0401, 0070	29,30, 31	2401,4401,24 01	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	आंशिक
61	निदेशक, रेशम निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून।	0401, 0815	29,30, 31	2401,4401, 2401	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण
62	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।		30,31	2202,2203,22 04,2205,2210, 2211,2215,22 17,2220,2225, 2230,2235, 2401, 2402,2403, 2404,2405, 2406,2425, 2501,2515, 2801,2810, 2851,4059, 4202,4210, 4211,4217, 4225,4235,	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	--	--	--	--

				4403,4406, 4408,4515, 4700,4702 ,4711,4801, 5054,5055, 5452								

(परिशिष्ट–4) पैरा–2.3

त्रैमासिक प्राप्ति आय–व्यय आकड़ों का मिलान नहीं कराने वाले बजट नियंत्रण अधिकारियों की सूची।

1. निदेशक, होम्योपैथी सेवायें उत्तराखण्ड ग्राम गुलराडा पो0 डाण्डा लखौड़ा सहस्त्रधारा रोड़ निकट आई0टी0 पार्क, देहरादून।
2 सचिव, आवास एवं शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
3 सचिव, सूचना एवं प्रौघोगिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(परिशिष्ट–5) पैरा–2.5
वर्ष 2023–24 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे का विवरण

क्र.सं.	कोषागार	लेखा माह	लेखा प्राप्ति नियत दिनांक	प्राप्ति दिनांक	विलम्ब दिनांक
1	हल्द्वानी	अप्रैल, 2023	08.05.2023	07.06.2023	30
2	नैनीताल	अप्रैल, 2023	08.05.2023	18.05.2023	10
3	अल्मोड़ा	अप्रैल, 2023	08.05.2023	28.06.2023	51
4	नरेन्द्रनगर	अप्रैल, 2023	08.05.2023	08.06.2023	31
5	चमोली	अप्रैल, 2023	08.05.2023	08.06.2023	31
6	उत्तरकाशी	अप्रैल, 2023	08.05.2023	21.06.2023	44
7	रूड़की	अप्रैल, 2023	08.05.2023	06.06.2023	29
8	कोटद्वार	अप्रैल, 2023	08.05.2023	14.07.2023	68
9	लैन्सडाउन	अप्रैल, 2023	08.05.2023	28.06.2023	51
10	नई टिहरी	अप्रैल, 2023	08.05.2023	09.06.2023	32
11	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	अप्रैल, 2023	08.05.2023	09.05.2023	01
12	हरिद्वार	अप्रैल, 2023	08.05.2023	08.06.2023	31
13	ऊधमसिंहनगर	अप्रैल, 2023	08.05.2023	07.06.2023	30
14	चम्पावत	अप्रैल, 2023	08.05.2023	14.06.2023	37
15	बागेश्वर	अप्रैल, 2023	08.05.2023	07.06.2023	30
16	रूद्रप्रयाग	अप्रैल, 2023	08.05.2023	12.06.2023	35
17	कोटद्वार	मई, 2023	08.06.2023	14.07.2023	35
18	नई टिहरी	मई, 2023	08.06.2023	09.06.2023	01
19	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	मई, 2023	08.06.2023	12.06.2023	04
20	चम्पावत	मई, 2023	08.06.2023	14.06.2023	06
21	रूद्रप्रयाग	मई, 2023	08.06.2023	12.06.2023	04
22	पौड़ी	जून, 2023	10.07.2023	17.07.2023	07
23	कोटद्वार	जून, 2023	10.07.2023	14.07.2023	04
24	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	जून, 2023	10.07.2023	11.07.2023	01
25	उत्तरकाशी	जुलाई, 2023	08.08.2023	09.08.2023	01
26	पौड़ी	जुलाई, 2023	08.08.2023	09.08.2023	01
27	कोटद्वार	जुलाई, 2023	08.08.2023	08.08.2023	31
28	लैन्सडाउन	जुलाई, 2023	08.08.2023	18.08.2023	10
29	चम्पावत	जुलाई, 2023	08.08.2023	09.08.2023	01
30	पौड़ी	अगस्त, 2023	08.09.2023	14.09.2023	05
31	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	अगस्त, 2023	08.09.2023	11.09.2023	03
32	चम्पावत	अगस्त, 2023	08.09.2023	12.09.2023	01

33	अल्मोड़ा	सितम्बर, 2023	09.10.2023	11.10.2023	02
34	नरेन्द्रनगर	सितम्बर, 2023	09.10.2023	10.10.2023	01
35	पौड़ी	सितम्बर, 2023	09.10.2023	19.10.2023	10
36	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	सितम्बर, 2023	09.10.2023	16.10.2023	07
37	बागेश्वर	सितम्बर, 2023	09.10.2023	10.10.2023	01
38	उत्तरकाशी	अक्टूबर, 2023	08.11.2023	09.11.2023	01
39	कोटद्वार	अक्टूबर, 2023	08.11.2023	10.11.2023	02
40	लैन्सडाउन	अक्टूबर, 2023	08.11.2023	09.11.2023	01
41	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	अक्टूबर, 2023	08.11.2023	14.11.2023	06
42	चम्पावत	अक्टूबर, 2023	08.11.2023	16.11.2023	08
43	अल्मोड़ा	नवम्बर, 2023	08.12.2023	13.12.2023	05
44	उत्तरकाशी	नवम्बर, 2023	08.12.2023	13.12.2023	05
45	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	नवम्बर, 2023	08.12.2023	11.12.2023	03
46	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	जनवरी, 2024	08.02.2024	12.02.2024	04
47	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	फरवरी, 2024	08.03.2024	19.03.2024	11
48	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	मार्च, 2024	08.04.2024	23.04.2024	15
49	ऊधमसिंहनगर	मार्च, 2024	08.04.2024	15.04.2024	07

*नियत तिथि पर अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को नियत तिथि माना गया है।

(परिशिष्ट–6) पैरा–2.6.1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 16 कोषागारों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के भुगतान से सम्बन्धित प्राधिकार–पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु वापस किया जाना।

Sr. No.	Name of Treasury	No. of authorities returned	No. of authorities revalidated	Amount involved In (₹)
1	Dehradun	3	3	4,99,779
2	Haridwar	2	2	4,65,432
3	Roorkee	1	1	57,854
4	Rishikesh	2	2	10,05,569
5	Vikas Nagar	1	1	92,872
6	Almora	1	1	1,53,356
7	Devprayag	1	1	28,428
8	Nainital	2	2	2,36,495
9	Gopeshwar	1	1	3,26,100
10	Pauri	1	1	96,140
11	Champawat	1	1	1,36,338
12	Tehri Garhwal	1	1	44,353
13	Ramnagar	1	1	3,51,049
14	Dhari	1	1	1,40,960
15	Molekhal	2	2	6,17,910
16	Uttarkashi	2	2	1,28,251
	Total	**23**	**23**	**43,80,886**

(परिशिष्ट–7) पैरा–2.6.2

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 2 कोषागारों में सामान्य भविष्य निधि के कुल 2 प्रकरण 90 प्रतिशत् अधिक भुगतान का संज्ञान में आना।

Sr. No.	Treasury	No. of Cases	Amount in (₹)
1.	Nainital	1	5,97,032
2.	Champawat	1	3,94,611
	Total	**02**	**9,91,643**

(परिशिष्ट–8) पैरा–2.6.3

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 18 कोषागारों के कुल 175 प्रकरणों में सामान्य भविष्य निधि संख्या और नाम के सही अंकित न होने के कारण प्राप्ति की प्रविष्टियों का विवरण सामान्य भविष्य निधि डाटा बेस में पोस्ट नहीं किया जाना।

Sl. No.	**Name of Treasury**	**No. of Items**	**Amount (in ₹)**
1	Almora	4	63,600
2	Bageshwar	1	24,000
3	Chamoli	5	47,058
4	Champawat	5	64,256
5	CPAO Dehradun	3	60,000
6	Dehradun	27	3,15,322
7	Haldwani	1	20,000
8	Haridwar	23	2,65,714
9	Kotdwar	2	25,000
10	Nainital	33	5,05,398
11	Narendranagar	7	71,428
12	Pauri	8	6,34,922
13	Pithauragarh	18	1,85,300
14	Roorkee	2	11,000
15	Rudraprayag	2	1,55,452
16	Tehri	9	72,984
17	U.S. Nagar	12	92,513
18	Uttarkashi	13	2,94,246
	Total	175	29,08,193

(परिशिष्ट–9) पैरा–2.6.4

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 19 कोषागारों के प्राप्ति के **Full want/Part want** के कुल 3816 प्रकरण प्राप्ति शैड्यूल के अभाव में वर्तमान में अनिस्तारित पाया जाना।

Sl.No.	Treasury	No. of Items		Amount (in ₹)	
		Full Want	Part Want	Full Want	Part Want
1	Almora	29	119	2,79,121	-2,53,708
2	Bagehswar	14	188	18,27,503	-7,10,712
3	Chamoli	15	88	1,85,000	-1,35,646
4	Champawat	11	74	20,86,230	-1,29,090
5	Dehradun CPAO	1	37	22,000	20,77,509
6	Dehradun	35	548	11,64,284	-38,87,667
7	Haldwani	12	77	8,997	8,41,613
8	Haridwar	13	153	2,80,636	-15,96,766
9	Kotdwar	15	53	1,55,400	-2,03,059
10	Nainital	6	11	11,130	-1,18,601
11	Lansdown	56	535	19,52,348	-62,303
12	Narendra Nagar	4	67	57,920	-6,20,980
13	Pauri	73	393	7,54,179	4,41,355
14	Pithoragarh	21	57	2,65,518	-2,07,647
15	Roorkee	2	23	12,600	2,88,666
16	Rudraprayag	10	115	92,900	-5,05,718
17	New Tehri	38	289	1,83,077	-32,08,974
18	Udham Singh Nagar	17	193	2,63,550	-32,65,940
19	Uttarkashi	26	398	11,65,349	-22,75,963
	Total	**398**	**3,418**	**1,07,67,742**	**-1,35,33,631**

(परिशिष्ट–10) पैरा–2.7.1

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अधिक भुगतान की वसूली को व्यय में कमी के रूप में दर्शाने के बजाय संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष (प्राप्ति) में दर्शाया जाना।

Sl. No.	Treasury	Numbers of Cases	Amount Involved in (₹)
1.	Dehradun	02	96,02,84,771
2.	Cyber	32	2,62,26,64,456
3.	Almora	01	91,77,513
4.	Haridwar	01	18,49,48,306
5.	Rudraprayag	01	80
	Total	37	3,77,70,75,126

(परिशिष्ट–11) पैरा–2.7.2

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मुख्य लेखाशीर्ष 0210 के वर्गीकरण में भिन्नता का पाया जाना।

Sl. No.	Head of account	Classificatin as per treasury	Classification as per A.G. office
1	0210	0210-04-103-03-01-00	0210-01-800-11-00-00
			0210-00-800-00-00-00
			0210-04-103-03-01-00
			0210-04-103-01-00-00

(परिशिष्ट–12) पैरा–2.7.3

पूर्ण (13 अंकीय) वर्गीकरण के बिना अपूर्ण चालान/एस0ओ0आर0 का पाया जाना।

Sl. No.	Treasury	Amount in (₹)	No. of Cases
1	Cyber	7,56,23,12,280	12

(परिशिष्ट–13) पैरा–2.11
कोषागारवार आर0बी0डी0 में दर्ज विसंगतियां

कम सं0	कोषागार/उपकोषागार	संख्या	डेबिट धनराशि (₹)	संख्या	केडिट धनराशि (₹)
1	अल्मोड़ा	3	45234.00	6	231679.18
2	चमोली	1	24184.00	0	0.00
3	चम्पावत	0	0.0	1	6.00
4	देहरादून	5	280848.00	14	24959034.00
5	हल्द्वानी	1	1.00	0	0.00
6	हरिद्वार	1	10.00	2	31120.00
7	कोटद्वार	0	0	1	345980.00
9	लैन्सडोन	1	100000.00	1	25950.00
9	नैनीताल	8	733138.00	7	358135.75
10	नरेन्द्रनगर	0	0.00	1	1934.00
11	नई दिल्ली	2	1008881.00	0	0.00
12	नई टिहरी	4	5455607.11	10	20761288.00
13	पौड़ी	3	1204.00	3	1370382.00
14	पिथौरागढ़	6	3449508.00	7	164354.00
15	रूद्रप्रयाग	0	0.00	0	0.00
16	ऊधमसिंहनगर	1	1969834.00	1	16635.00
17	उत्तरकाशी	1	25.00	6	2158590.00
18	साईबर ट्रेजरी	2	100.5	22	958673133.19
19	अज्ञात मदें	7	53268962.00	2	17223382.00
	कुल	46	66337536.61	84	1026321603.12

(परिशिष्ट–14) पैरा–3.1
वर्ष 2023–24 में निरीक्षण किये गये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रम संख्या	कोषागार/उपकोषागार का नाम	निरीक्षण तिथि
1	कोषागार रूड़की	17.04.2023 से 25.04.2023
2	उपकोषागार लक्सर	26.04.2023 से 28.04.2023
3	कोषागार रूद्रप्रयाग	02.05.2023 से 10.05.2023
4	कोषागार नई टिहरी	12.05.2023 से 23.05.2023
5	कोषागार नरेन्द्रनगर	22.05.2023 से 29.05.2023
6	कोषागार अल्मोड़ा	31.05.2023 से 09.06.2023
7	उपकोषागार द्वाराहाट	12.06.2023 से 14.06.2023
8	उपकोषागार भिकियासैंण	15.06.2023 से 19.06.2023
9	उपकोषागार जोशीमठ	05.06.2023 से 07.06.2023
10	उपकोषागार चमोली	09.06.2023 से 13.06.2023
11	उपकोषागार पोखरी	15.06.2023 से 17.06.2023
12	उपकोषागार कर्णप्रयाग	19.06.2023 से 21.06.2023
13	उपकोषागार नारायणबगढ़	22.06.2023 से 24.06.2023
14	उपकोषागार थराली	26.06.2023 से 28.06.2023
15	उपकोषागार मौलेखाल	21.06.2023 से 23.06.2023
16	उपकोषागार चौखुटिया	26.06.2023 से 28.06.2023
17	उपकोषागार ताकुला	30.06.2023 से 03.07.2023
18	निदेशक कोषागार देहरादून	10.07.2023 से 17.07.2023
19	साईबर कोषागार देहरादून	18.07.2023 से 25.07.2023
20	कोषागार कोटद्वार	02.08.2023 से 09.08.2023
21	उपकोषागार ऋषिकेश	10.08.2023 से 14.08.2023
22	कोषागार हरिद्वार	16.08.2023 से 23.08.2023
23	उपकोषागार खटीमा	21.08.2023 से 23.08.2023
24	उपकोषागार सितारगंज	24.08.2023 से 26.08.2023
25	कोषागार ऊधमसिंहनगर	28.08.2023 से 11.09.2023
26	उपकोषागार काशीपुर	12.09.2023 से 14.09.2023
27	उपकोषागार जसपुर	15.09.2023 से 18.09.2023
28	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	01.09.2023 से 06.09.2023
29	उपकोषागार विकासनगर	04.09.2023 से 06.09.2023
30	कोषागार देहरादून	08.09.2023 से 20.09.2023
31	उपकोषागार मसूरी	21.09.2023 से 23.09.2023
32	उपकोषागार कोश्याकुटोली	11.09.2023 से 13.09.2023
33	उपकोषागार धारी	14.09.2023 से 16.09.2023
34	कोषागार नैनीताल	18.09.2023 से 25.09.2023
35	उपकोषागार रामनगर	26.09.2023 से 29.09.2023

36	कोषागार उत्तरकाशी	03.10.2023 से 10.10.2023
37	उपकोषागार डुण्डा	11.10.2023 से 13.10.2023
38	उपकोषागार भटवाड़ी	20.10.2023 से 23.10.2023
39	उपकोषागार पुरोला	16.10.2023 से 18.10.2023
40	कोषागार पौड़ी गढ़वाल	09.10.2023 से 20.10.2023
41	कोषागार रानीखेत	26.10.2023 से 03.11.2023
42	कोषागार बागेश्वर	07.12.2023 से 15.12.2023
43	उपकोषागार ढुंगनाकुरी	04.12.2023 से 06.12.2023
44	उपकोषागार गरूड़	16.12.2023 से 19.12.2023
45	कोषागार चम्पावत	04.12.2023 से 12.12.2023
46	उपकोषागार टनकपुर	13.12.2023 से 15.12.2023
47	कोषागार पिथौरागढ़	15.01.2024 से 23.01.2024
48	उपकोषागार डीडीहाट	24.01.2024 से 27.01.2024
49	उपकोषागार अस्कोट	29.01.2024 से 31.01.2024
50	उपकोषागार धारचुला	01.02.2024 से 03.02.2024
51	कोषागार हल्द्वानी	15.01.2024 से 23.01.2024
52	कोषागार लैन्सडाउन	22.01.2024 से 30.01.2024
53	कोषागार गोपेश्वर	05.02.2024 से 13.02.2024
54	उपकोषागार गणाई गंगोली	12.02.2024 से 14.02.2024
55	उपकोषागार देवलथल	15.02.2024 से 17.02.2024
56	उपकोषागार नाचनी	19.02.2024 से 21.02.2024
57	उपकोषागार मुनस्यारी	22.02.2024 से 24.02.2024

(परिशिष्ट–15) पैरा- 3.2.1

नई पेंशन स्कीम के अर्न्तगत कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित धनराशि की कटौती नहीं करने वाले कोषागार/उपकोषागार

क्र.सं.	कोषागार/ उपकोषागार का नाम	कर्मचारियों की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1.	उपकोषागार अस्कोट	01	TM/TI/2023-24/49
2.	कोषागार बागेश्वर	11	TM/TI/2023-24/42
3.	उपकोषागार चमोली	02	TM/TI/2023-24/10
4.	उपकोषागार धारी	16	TM/TI/2023-24/32
5.	उपकोषागार डीडीहाट	08	TM/TI/2023-24/48
6.	उपकोषागार गरूड़	11	TM/TI/2023-24/44
7.	कोषागार हल्द्वानी	07	TM/TI/2023-24/51
8.	उपकोषागार जोशीमठ	08	TM/TI/2023-24/09
9.	उपकोषागार मौलेखाल	03	TM/TI/2023-24/15
10.	कोषागार चम्पावत	11	TM/TI/2023-24/45
11.	उपकोषागार कर्णप्रयाग	08	TM/TI/2023-24/12
12.	उपकोषागार नारायणबगढ़	11	TM/TI/2023-24/13
13.	उपकोषागार थराली	09	TM/TI/2023-24/14
14.	कोषागार पिथौरागढ़	08	TM/TI/2023-24/47
15.	उपकोषागार रामनगर	06	TM/TI/2023-24/35
16.	कोषागार टिहरी गढ़वाल	09	TM/TI/2023-24/04
17.	उपकोषागार काशीपुर	04	TM/TI/2023-24/26
	योग	133	

(परिशिष्ट–16) पैरा– 3.2.2
वित्तीय वर्ष 2023–24 में उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किये कोषागारों/उपकोषागारों की सूची

क्रमांक	कोषागार/उपकोषागार का नाम
1	अल्मोड़ा
2	अस्कोट
3	भिकियासैंण
4	देवलथल
5	धारचुला
6	डीडीहाट
7	गणाई गंगोली
8	जसपुर
9	लैन्सडाउन
10	मौलेखाल
11	मुनस्यारी
12	नाचनी
13	नैनीताल
14	चम्पावत
15	टनकपुर
16	पिथौरागढ़
17	चौखुटिया
18	ताकुला
19	रानीखेत
20	रूद्रप्रयाग
21	निदेशक कोषागार
22	मसूरी
23	द्वाराहाट
24	उत्तरकाशी
25	काशीपुर

(परिशिष्ट–17) पैरा– 3.5.1

पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभों के कम या अधिक भुगतान का विवरण

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	देय राशि (₹) में			कुल देय राशि (₹) में (4) (1+2+3)	भुगतानित राशि (₹) में			कुल भुगतानित राशि (₹) में (8) (5+6+7)	अंतर ;देय. भुगतानित राशि (₹) में (4–8)	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
			राशिकरण (1)	उपादान (2)	पेंशन (3)		राशिकरण (5)	उपादान (6)	पेंशन (7)			
1	थराली	5	–	52,85,185	–	52,85,185	–	51,20,838	–	51,20,838	1,64,347	TM/TI/2023-24/14
2	पोखरी	10	–	98,15,971	–	98,15,971	–	94,85,499	–	94,85,499	3,30,472	TM/TI/2023-24/11
3	चौखुटिया	6	–	54,61,133	–	54,61,133	–	51,25,805	–	51,25,805	3,35,328	TM/TI/2023-24/16
4	ताकुला	5	–	55,25,516	–	55,25,516	–	52,35,103	–	52,35,103	2,90,413	TM/TI/2023-24/17
5	रामनगर	3	–	34,33,953	–	34,33,953	–	33,36,099	–	33,36,099	97,854	TM/TI/2023-24/35
6	रूड़की	12	–	53,23,197	86,28,831	1,39,52,028	–	49,97,832	89,07,319	1,39,05,151	46,877	TM/TI/2023-24/01
7	रूद्रप्रयाग	19	–	2,64,45,825	–	2,64,45,825	–	2,61,29,703	–	2,61,29,703	3,16,122	TM/TI/2023-24/03
8	टिहरी	36	–	4,57,38,688	–	4,57,38,688	–	4,40,61,252	–	4,40,61,252	16,77,436	TM/TI/2023-24/04
9	पी0ए0ओ0 नई दिल्ली	2	–	21,03,996	–	21,03,996	–	21,17,645	–	21,17,645	–13,649	TM/TI/2023-24/28
10	साईबर ट्रेजरी	8	–	2,49,45,814	–	2,49,45,814	–	1,11,28,256	–	1,11,28,256	1,38,17,558	TM/TI/2023-24/19
11	देहरादून	31	–	1,46,52,328	–	1,46,52,328	–	1,42,14,527	–	1,42,14,527	4,37,801	TM/TI/2023-24/30
12	निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड	8	–	96,47,370	–	96,47,370	–	94,05,958	–	94,05,958	2,41,412	TM/TI/2023-24/18
13	कोटद्वार	1	–	3,83,941	–	3,83,941	–	4,46,768	–	4,46,768	–62,827	TM/TI/2023-24/20

14	अल्मोड़ा	2	–	33,31,746	–	33,31,746	–	32,37,894	–	32,37,894	93,852	TM/TI/2023-24/06
15	भटवाड़ी	5	–	12,13,637	2,64,919	14,78,556	–	11,51,574	2,43,891	13,95,465	83,091	TM/TI/2023-24/38
16	भिकियासैंण	5	–	59,27,425	–	59,27,425	–	56,10,706	–	56,10,706	3,16,719	TM/TI/2023-24/08
17	चमोली	5	–	54,26,647	–	54,26,647	–	50,91,733	–	50,91,733	3,34,914	TM/TI/2023-24/10
18	धारी	7	–	93,41,206	–	93,41,206	–	90,15,553	–	90,15,553	3,25,653	TM/TI/2023-24/32
19	डुण्डा	5	–	5,13,915	7,83,000	12,96,915	–	4,97,485	3,35,646	8,33,131	4,63,784	TM/TI/2023-24/37
20	जसपुर	13	–	1,29,13,223	4,54,338	1,33,67,561	–	1,24,02,862	4,42,799	1,28,45,661	5,21,900	TM/TI/2023-24/27
21	जोशीमठ	8	–	97,88,671	–	97,88,671	–	93,13,786	–	93,13,786	4,74,885	TM/TI/2023-24/09
22	खटीमा	8	–	66,38,143	54,14,983	1,20,53,126	–	63,83,989	60,17,132	1,24,01,121	–3,47,995	TM/TI/2023-24/24
23	कोश्याकुटोली	2	–	28,53,196	–	28,53,196	–	27,27,885	–	27,27,885	1,25,311	TM/TI/2023-24/32
24	लक्सर	3	–	29,82,780	17,281	30,00,061	–	27,66,758	34,562	28,01,320	1,98,741	TM/TI/2023-24/02
25	नैनीताल	6	–	53,07,412	–	53,07,412	–	51,40,485	–	51,40,485	1,66,927	TM/TI/2023-24/34
26	नरेन्द्रनगर	5	–	52,44,607	–	52,44,607	–	51,54,856	–	51,54,856	89,751	TM/TI/2023-24/05
27	चम्पावत	6	–	55,90,304	–	55,90,304	–	54,37,988	–	54,37,988	1,52,316	TM/TI/2023-24/45
28	कर्णप्रयाग	6	–	27,03,538	31,32,000	58,35,538	–	26,27,382	17,85,327	44,12,709	14,22,829	TM/TI/2023-24/12
29	नारायणबगढ़	1	–	8,93,244	–	8,93,244	–	8,73,246	–	8,73,246	19,998	TM/TI/2023-24/13
30	टनकपुर	1	–	7,30,296	–	7,30,296	–	7,09,128	–	7,09,128	21,168	TM/TI/2023-24/46
31	द्वाराहाट	1	–	6,45,482	–	6,45,482	–	6,09,044	–	6,09,044	36,438	TM/TI/2023-24/07
32	ऊधमसिंहनगर	27	45,50,830	2,32,39,391	89,43,967	3,67,34,188	45,34,445	2,18,34,464	86,39,120	3,50,08,029	17,26,159	TM/TI/2023-24/25
33	उत्तरकाशी	5	–	69,69,590	–	69,69,590	–	69,56,342	–	69,56,342	13248	TM/TI/2023-24/36
34	काशीपुर	10	–	82,19,262	90,79,462	1,72,98,724	–	78,32,194	96,50,759	1,74,82,953	–1,84,229	TM/TI/2023-24/26
35	सितारगंज	12	–	1,30,55,750	10,89,000	1,41,44,750	–	1,23,16,302	11,10,780	1,34,27,082	7,17,668	TM/TI/2023-24/24
36	अस्कोट	2	–	11,28,988	–	11,28,988	–	10,95,276	–	10,95,276	33,712	TM/TI/2023-24/49
37	हरिद्वार	5	–	73,77,324	–	73,77,324	–	67,96,063	–	67,96,063	5,81,261	TM/TI/2023-24/22
38	धारचूला	3	–	12,92,448	7,83,000	20,75,448	–	12,38,016	3,04,500	15,42,516	5,32,932	TM/TI/2023-24/50

39	डीडीहाट	1	–	–	7,83,000	7,83,000	–	–	1,70,433	1,70,433	6,12,567	TM/TI/2023-24/48
40	ढुंगनाकुरी	3	–	28,92,663	–	28,92,663	–	26,80,178	–	26,80,178	2,12,485	TM/TI/2023-24/43
41	गरूड़	3	–	23,68,619	–	23,68,619	–	22,41,750	–	22,41,750	1,26,869	TM/TI/2023-24/44
42	गोपेश्वर	5	–	45,50,486	16,34,236	61,84,722	–	43,56,990	16,36,432	59,93,422	1,91,300	TM/TI/2023-24/53
43	हल्द्वानी	8	–	1,28,66,621	–	1,28,66,621	–	1,22,62,403	–	1,22,62,403	6,04,218	TM/TI/2023-24/51
44	लैन्सडाउन	8	–	99,43,095	–	99,43,095	–	95,80,503	–	95,80,503	3,62,592	TM/TI/2023-24/52
45	मौलेखाल	4	–	34,59,843	–	34,59,843	–	33,25,264	–	33,25,264	1,34,579	TM/TI/2023-24/15
46	पिथौरागढ़	10	–	58,22,597	43,92,000	1,02,14,597	–	54,48,860	18,20,931	72,69,791	29,44,806	TM/TI/2023-24/47
47	रानीखेत	4	–	65,45,920	–	65,45,920	–	60,89,559	–	60,89,559	4,56,361	TM/TI/2023-24/41
48	देवलथल	3	–	29,58,516	–	29,58,516	–	27,91,504	–	27,91,504	1,67,012	TM/TI/2023-24/55
49	गणई गंगोली	1	–	6,39,009	–	6,39,009	–	6,20,487	–	6,20,487	18,522	TM/TI/2023-24/54
50	मुनस्यारी	2	–	16,58,481	–	16,58,481	–	16,13,469	–	16,13,469	45,012	TM/TI/2023-24/57
51	नाचनी	3	–	30,56,762	–	30,56,762	–	29,80,161	–	29,80,161	76,601	TM/TI/2023-24/56
52	बागेश्वर	4	–	47,75,931	–	47,75,931	–	46,18,049	–	46,18,049	1,57,882	TM/TI/2023-24/42
53	धारचुला	2	–	12,92,448	–	12,92,448	–	12,38,016	–	12,38,016	54,432	TM/TI/2023-24/50

(परिशिष्ट-18) पैरा—3.5.2

अन्य राज्यों के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ते का लाभ कम या नहीं दिया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	राज्य का नाम	सम्बन्धित निरीक्षण आख्या संख्या
1	उपकोषागार ऋषिकेश	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/21
		2	पंजाब	
		3	हरियाणा	
2	कोषागार अल्मोड़ा	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/06
		2	पंजाब	
3	उपकोषागार अस्कोट	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/49
4	कोषागार बागेश्वर	1	अरूणाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/42
		2	हरियाणा	
		3	हिमाचल प्रदेश	
		4	गुजरात	
5	उपकोषागार भिकियासैंण	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/08
6	उपकोषागार चमोली	1	बिहार	TM/TI/2023-24/10
7	उपकोषागार डुण्डा	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/37
8	उपकोषागार गणई गंगोली	1	पंजाब	TM/TI/2023-24/54
		2	राजस्थान	
9	उपकोषागार गरूड़	1	गुजरात	TM/TI/2023-24/44
		2	पंजाब	
		3	पश्चिम बंगाल	
		4	नागालैण्ड	
10	उपकोषागार खटीमा	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/24
		2	मणिपुर	
11	कोषागार लैन्सडाउन	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/52
		2	पंजाब	
12	उपकोषागार मौलेखाल	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/15
13	कोषागार नैनीताल	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/34
14	कोषागार नरेन्द्रनगर	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/05
		2	पंजाब	
15	उपकोषागार कर्णप्रयाग	1	पंजाब	TM/TI/2023-24/12
16	उपकोषागार नारायाणबगढ़	1	गुजरात	TM/TI/2023-24/13
		2	हरियाणा	
17	कोषागार पौड़ी गढ़वाल	1	गुजरात	TM/TI/2023-24/40
18	कोषागार पिथौरागढ़	1	आन्ध्र प्रदेश	TM/TI/2023-24/47

		2	हिमाचल प्रदेश	
		3	पंजाब	
		4	आसाम	
19	उपकोषागार चौखुटिया	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/16
		1	मणिपुर	
20	उपकोषागार रामनगर	1	पंजाब	TM/TI/2023-24/35
		2	हरियाणा	
21	कोषागार रानीखेत	1	गुजरात	TM/TI/2023-24/41
22	कोषागार टिहरी गढ़वाल	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/04
23	भुगतान एवं लेखा कार्यालय नई दिल्ली	1	पंजाब	TM/TI/2023-24/28
24	कोषागार देहरादून	1	गुजरात	TM/TI/2023-24/30
25	उपकोषागार द्वाराहाट	1	पंजाब	TM/TI/2023-24/07
		2	बिहार	
26	कोषागार उत्तरकाशी	1	पश्चिम बंगाल	TM/TI/2023-24/36
		2	हिमाचल प्रदेश	
		3	पंजाब	
27	उपकोषागार काशीपुर	1	हिमाचल प्रदेश	TM/TI/2023-24/26

(परिशिष्ट-19) पैरा- 3.5.3

डाटा बेस में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि को अंकित न किया जाना।

क्रम सं0	कोषागार/ उपकोषागार	पेंशनर की संख्या	निरीक्षण आख्या संख्या
1.	उपकोषागार धारी	06	TM/TI/2023-24/32
2.	उपकोषागार डीडीहाट	05	TM/TI/2023-24/48
3.	उपकोषागार डुण्डा	11	TM/TI/2023-24/37
4.	उपकोषागार भिकियासैंण	02	TM/TI/2023-24/08
5.	उपकोषागार मौलेखाल	02	TM/TI/2023-24/04
6.	कोषागार नैनीताल	10	TM/TI/2023-24/34
7.	उपकोषागार चौखुटिया	02	TM/TI/2023-24/16
8.	उपकोषागार ताकुला	03	TM/TI/2023-24/17
9.	उपकोषागार रामनगर	08	TM/TI/2023-24/35
10.	कोषागार टिहरी गढ़वाल	20	TM/TI/2023-24/04
	योग	**69**	**10**

(परिशिष्ट–20) पैरा–3.7

सैनिक पेंशनरों को **Defence Pension Disbursement Officer (DPDO)** देहरादून को हस्तानांतरित नहीं किया जाना।

कोषागार / उपकोषागार का नाम	कम सं0	नाम	पी.पी.ओ.सं0
कोटद्वार	1.	श्रीमती गुड्डी देवी	M01S01365
	2.	श्री पूर्णानन्द	M01S01473
	3.	श्री प्रेमलाल	M01S06035
	4.	श्रीमति बीमला देवी	M01S06184
	5.	श्री भगदी देवी	M06F01714
	6.	श्रीमति भना देवी	M06F01724
	7.	श्रीमति गंगोत्री देवी	M06F01735
	8.	श्रीमति कपोत्री देवी	M06F01758
	9.	श्रीमति जमती देवी	M06F01774
	10.	श्रीमति कमला देवी	M06F01780
	11.	श्रीमति कान्ता देवी	M13F09852
	12.	श्रीमति देबेश्वरी देवी	M13F06023
	13.	श्रीमति सुशीला देवी	M13F10854
	14.	श्रीमति झबरी देवी	M14F03006
	15.	श्रीमति दर्शनी देवी	M14F03113
	16.	श्रीमति कमला देवी	M14F03200
	17.	श्रीमति सत्यवती देवी	M14F03264
	18.	श्रीमति विघा देवी	M14F03268
	19.	श्रीमति बोनी देवी	M14F03333
	20.	श्रीमति घिन्दूरी देवी	M14F03371
	21.	श्रीमति सावित्री देवी	M14F03441
	22.	श्रीमति बेलमा देवी	M14F03446
	23.	श्रीमति जमोत्री देवी	M14F04800
	24.	श्रीमति विघावती देवी	M14F05332
	25.	श्रीमति चन्दनी देवी	M14F05396
	26.	श्रीमति दीपा देवी	M14F05896
	27.	श्रीमति किरपल देवी	M14F06358
	28.	श्रीमति इन्द्रा देवी	M14F06413

	29.	श्रीमति गणेशी देवी	M14F06741
	30.	श्रीमति सूरजी देवी	M14F07085
	31.	श्रीमति बसन्ती देवी	M14F07103
चमोली	1.	श्रीमति शान्ति देवी	M06F01070
	2.	श्रीमति बिमला देवी	M06F01071
	3.	श्रीमति सुरेशी देवी	M06F01072
	4.	श्रीमति संग्रमी देवी	M14F01029
	5.	मनुली अदिस	M14F06466
पिथौरागढ़	1.	श्री मनी चन्द	M01S02453
	2.	श्री कमल सिंह	M01S02595
	3.	श्री रमी चन्द ठाकुर	M01S02477
	4.	श्रीमति हीरा देवी	M02F02160
	5.	श्रीमति जीवन्ती देवी	M02F02354
	6.	श्रीमति बरमा देवी	M02F02422
	7.	श्रीमति कमला देवी	M02F02459
	8.	श्रीमति देवकी देवी	M02F04484
	9.	श्रीमति कुसमा देवी	M02F07904
	10.	श्रीमति नरूली देवी	M02F04787
	11.	श्रीमति राधा कुमारी	M02F04802
	12.	श्रीमति अन्ना देवी	M02F06332
	13.	श्रीमति बसन्ती देवी	M02F07384
	14.	श्रीमति नरोली देवी	M02F07821
	15.	श्रीमति तुलसी देवी	M02F04633
	16.	श्रीमति गंगा देवी	M06F03379